

परिशिष्ट - I

(पैराग्राफ 1.3 देखें)

उन निकायों की सूची जिन्होंने तीन माह से अधिक के विलम्ब के पश्चात लेखे प्रस्तुत किए

क्र. सं.	स्वायत्त निकायों के नाम	लेखाओं के प्रस्तुतीकरण की तिथि	विलम्ब (महीनों में)
1.	पूर्वी आंचलिक सांस्कृतिक केन्द्र, कोलकाता, पश्चिम बंगाल	09.10.2013	3
2.	राष्ट्रीय संग्रहालय संस्थान, नई दिल्ली	09.12.2013	5
3.	दक्षिणी केन्द्रीय अंचल सांस्कृतिक केन्द्र, नागपुर, महाराष्ट्र	08.11.2013	4
4.	राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, नई दिल्ली	09.10.2013	3
5.	लक्षद्वीप राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, कावारत्ती, लक्षद्वीप	30.10.2013	3
6.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ऋषिकेश, उत्तराखंड	16.12.2013	5
7.	भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड, चंडीगढ़	25.11.2013	4
8.	अ.बि. वाजपेयी भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन, ग्वालियर, मध्य प्रदेश	12.12.2013	5
9.	राजीव गांधी विश्वविद्यालय, अरुणाचल प्रदेश	01.10.2013	3
10.	दिल्ली विश्वविद्यालय, नई दिल्ली	07.10.2013	3
11.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, रायपुर, छत्तीसगढ़	07.10.2013	3
12.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, उदयपुर, राजस्थान	07.10.2013	3
13.	प्रसारभारती, नई दिल्ली	17.10.2013	3
14.	राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली	18.10.2013	3
15.	राज्य विधि सेवा प्राधिकरण, (सं.शा.क्षे.), चंडीगढ़	29.10.2013	3
16.	जिलाविधि सेवा प्राधिकरण, चंडीगढ़	23.12.2013	5

क्र. सं.	स्वायत्त निकायों के नाम	लेखाओं के प्रस्तुतीकरण की तिथि	विलम्ब (महीनों में)
17.	राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, नई दिल्ली	12.11.2013	4
18.	सांताक्रुज इलेक्ट्रॉनिक निर्यात संसाधन क्षेत्र, मुम्बई, महाराष्ट्र	02.05.2014	10
19.	भारतीय हज समिति, मुम्बई, महाराष्ट्र	11.04.2014	9
20.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भोपाल, मध्यप्रदेश	10.04.2014	9
21.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रायपुर, छत्तीसगढ़	10.04.2014	9
22.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, आईज़ोल, मिजोरम	15.01.2014	6
23.	केन्द्रीय हिमालयी सांस्कृतिक अध्ययन संस्थान, अरुणाचल प्रदेश	16.01.2014	6
24.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सिक्किम	24.03.2014	8
25.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, रॉची, झारखंड	25.02.2014	7
26.	दरगाह ख्वाजा साहब, अजमेर, राजस्थान	23.04.2014	9

परिशिष्ट - II

(पैराग्राफ 1.4 देखें)

उन स्वायत्त निकायों की सूची जिनके संबंध में वर्ष 2011-12 तथा 2012-13 के लेखापरीक्षित लेखे 31 दिसम्बर 2014 तक संसद के समक्ष प्रस्तुत नहीं किए गए थे

क्र. सं.	स्वायत्त निकायों के नाम (मंत्रालय वार)
वर्ष 2011-12 के लिए	
	वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
1.	निर्यात निरीक्षण अभिकरण, कोलकाता
	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
2.	भारतीय सड़क कांग्रेस
वर्ष 2012-13 के लिए	
	कृषि मंत्रालय
1.	राष्ट्रीय तिलहन तथा वनस्पति तेल विकास बोर्ड, गुड़गांव
	रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
2.	राष्ट्रीय फार्माक्यूटिकल शिक्षा तथा अनुसंधान केन्द्र, कोलकाता
	संस्कृति मंत्रालय
3.	गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति, दिल्ली
	वित्त मंत्रालय
4.	भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड
	कपड़ा मंत्रालय
5.	राष्ट्रीय जूट बोर्ड
	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
6.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली
7.	भारतीय चिकित्सा परिषद, नई दिल्ली
8.	भारतीय फार्मसी परिषद, नई दिल्ली
	मानवसंसाधन विकास मंत्रालय
9.	भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
10.	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान आयोग
11.	मध्य प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय

क्र. सं.	स्वायत्त निकायों के नाम (मंत्रालय वार)
12.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रायपुर
13.	उत्तर पूर्वी पर्वतीय विश्वविद्यालय, शिलांग
	कपड़ा मंत्रालय
14.	राष्ट्रीय जूट बोर्ड
	महिलाएवंबालविकासमंत्रालय
15.	केन्द्रीय दत्तक संस्थान प्राधिकरण,नई दिल्ली
16.	राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली

परिशिष्ट - III

(पैराग्राफ 1.4 देखें)

स्वायत्त निकायों द्वारा संसद में 2011-12 तथा 2012-13 वर्षों के लेखापरीक्षित लेखाओं के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब

क्र. सं.	स्वायत्त निकायों के नाम (मंत्रालय-वार)	लेखा परीक्षित लेखाओं के वर्ष	विलम्ब (महीनों में)
कृषि मंत्रालय			
1.	भारतीय पशु चिकित्सा परिषद, नई दिल्ली	2012-13	1
2.	राष्ट्रीय कृषीय विस्तारण प्रबंधन संस्थान, हैदराबाद	2012-13	1
3.	तटीय जल संस्कृति प्राधिकरण, चेन्नई	2012-13	2
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय			
4.	राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल्स शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान, गुवाहाटी	2011-12*	5
		2012-13	7
5.	राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल्स शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान, मोहाली	2011-12*	6
		2012-13	7
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय			
6.	कॉफीबोर्ड बंगलुरु संचय निधि	2012-13	1
उपभोक्ता मामले मंत्रालय			
7.	भारतीय मानक ब्यूरो, नई दिल्ली	2012-13	1
8.	भाण्डागार तथा विकास नियामक प्राधिकरण	2012-13	1
संस्कृति मंत्रालय			
9.	एशियाई समिति, कोलकाता	2012-13	1
10.	उत्तर-पूर्वी क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, दिमापुर	2012-13	1
11.	दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी	2012-13	2
12.	केन्द्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान, लेह	2012-13	2
13.	सालारजंग संग्रहालय बोर्ड, हैदराबाद	2012-13	2
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय			
14.	केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली	2012-13	1
15.	केन्द्रीय यूनानी औषधी अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली	2012-13	1
16.	राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर	2012-13	1

क्र. सं.	स्वायत्त निकायों के नाम (मंत्रालय-वार)	लेखा परीक्षित लेखाओं के वर्ष	विलम्ब (महीनों में)
17.	राष्ट्रीय यूनानी औषधी संस्थान, बेंगलौर	2012-13	1
18.	राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ, नई दिल्ली	2012-13	1
19.	चितरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान, कोलकाता	2012-13	1
20.	केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद, नई दिल्ली	2012-13	2
21.	मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान, नई दिल्ली	2012-13	2
22.	उत्तर-पूर्वी इन्दिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विज्ञान संस्थान, शिलांग	2012-13	1
गृह मंत्रालय			
23.	राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, नई दिल्ली	2012-13	1
मानवसंसाधन विकास मंत्रालय			
24.	केन्द्रीय तमिलनाडु विश्वविद्यालय, थिरुवरूर	2012-13	1
25.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भुवनेश्वर	2012-13	1
26.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर	2012-13	1
27.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मुम्बई	2012-13	1
28.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली	2012-13	1
29.	मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भोपाल	2012-13	1
30.	राष्ट्रीय तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, कोलकाता	2012-13	1
31.	राष्ट्रीय तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, भोपाल	2012-13	1
32.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, राउरकेला	2012-13	1
33.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सिल्चर	2012-13	1
34.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सुराथकल	2012-13	1
35.	विश्वेश्वरैया राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नागपुर	2012-13	1
36.	व्यवहारिक प्रशिक्षण बोर्ड, कोलकाता	2012-13	2
37.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद	2012-13	2
38.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, बेंगलौर	2012-13	2
39.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, इंदौर	2012-13	2
40.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, तिरुचरापल्ली	2012-13	2
41.	भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलौर	2012-13	2

क्र. सं.	स्वायत्त निकायों के नाम (मंत्रालय-वार)	लेखा परीक्षित लेखाओं के वर्ष	विलम्ब (महीनों में)
42.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, चेन्नई	2012-13	2
43.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इंदौर	2012-13	2
44.	राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, नई दिल्ली	2012-13	2
45.	राष्ट्रीय औद्योगिक अभियांत्रिकी संस्थान, मुम्बई	2012-13	2
46.	राष्ट्रीय तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़	2012-13	2
47.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गोआ	2012-13	2
48.	राष्ट्रीय शैक्षिक नियोजन एवं प्रशासन विश्वविद्यालय, नई दिल्ली	2012-13	2
49.	राजीव गांधी भारतीय प्रबंधन संस्थान, शिलांग	2012-13	2
50.	सरदार वल्लभभाई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सूरत	2012-13	2
51.	योजना और वास्तुकला विद्यालय, विजयवाड़ा	2012-13	2
52.	राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली	2012-13	2
53.	राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान, नोएडा	2012-13	2
54.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, रोहतक	2012-13	6
55.	केन्द्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कोकराझार	2012-13	7
56.	भारतीय प्रबंधनसंस्थान, काशीपुर	2012-13	7
57.	राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान परिषद, हैदराबाद	2012-13	7
58.	राष्ट्रीय ढलाई एवं गढ़ाई प्रौद्योगिकी संस्थान, धनबाद	2012-13	7
59.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, अगरतला	2012-13	7
60.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, श्रीनगर	2012-13	7
61.	संत लॉगोवाल अभियांत्रिकी तथा प्रौद्योगिकी संस्थान, लॉगोवाल	2012-13	7
62.	केन्द्रीय तिब्बतीय विद्यालय प्रशासन, नई दिल्ली	2012-13	7
63.	भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली	2012-13	8
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय			
64.	कर्मचारीराज्य बीमा निगम, नई दिल्ली	2012-13	1
अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय			
65.	केन्द्रीय वक्फ परिषद, नई दिल्ली	2012-13	2

क्र. सं.	स्वायत्त निकायों के नाम (मंत्रालय-वार)	लेखा परीक्षित लेखाओं के वर्ष	विलम्ब (महीनों में)
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय			
66.	राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान, रायबरेली	2012-13	1
पोत परिवहन मंत्रालय			
67.	कलकत्ता गोदी श्रमिक बोर्ड	2012-13	1
68.	पारादीप पत्तन न्यास	2012-13	1
69.	नाविक भविष्य निधि संगठन	2012-13	1
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय			
70.	भारतीय पुनर्वास परिषद, नई दिल्ली	2012-13	1
71.	अली यावर जंग राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान, मुम्बई	2012-13	7
72.	स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, कटक	2012-13	7
73.	राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, हैदराबाद	2012-13	8
74.	राष्ट्रीय दृष्टि विकलांग संस्थान, देहरादून	2012-13	8
75.	पंडित दीनदयाल उपाध्याय शारीरिक विकलांग संस्थान, नई दिल्ली	2012-13	7
76.	स्वलीनता, प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात, मानसिक मंदता एवं बहु अक्षम व्यक्तियों के कल्याण हेतु राष्ट्रीय न्यास	2012-13	7
कपड़ा मंत्रालय			
77.	कपड़ा समिति, मुम्बई	2012-13	1
78.	राष्ट्रीय जूट बोर्ड	2012-13	1
शहरी विकास मंत्रालय			
79.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नियोजन बोर्ड	2012-13	1
जल संसाधन मंत्रालय			
80.	ब्रह्मपुत्र बोर्ड, गुवाहाटी	2012-13	1
81.	नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, इंदौर	2012-13	1

* 2011-12 के दो लेखापरीक्षित लेखे जोड़कर 83 निकाय हो गए हैं।

परिशिष्ट - IV

(पैराग्राफ 1.5 के संदर्भ में)

बकाया उपयोग प्रमाणपत्र

(₹ लाख में)

मंत्रालय/विभाग	अवधि, जिससे अनुदान संबंधित हैं (मार्च 2013 तक)	मार्च 2013 तक जारी अनुदानों के संबंध में बकाया उपयोग प्रमाणपत्र जो 31 मार्च 2014 तक देय थे	
		संख्या	राशि
कृषि	1992-93	1	4.11
	1993-94	3	2.16
	1994-95	1	2.50
	1995-96	2	11.91
	2000-01	2	3.32
	2001-02	7	9.06
	2002-03	4	1.63
	2003-04	6	3.75
	2004-05	6	152.73
	2005-06	6	499.56
	2006-07	17	386.39
	2007-08	22	317.26
	2008-09	23	12965.96
	2009-10	40	6645.64
	2010-11	61	6184.87
2011-12	1333	531704.23	
2012-13	1555	679125.06	
	कुल	3089	1238020.14
विद्युत i) परमाणु ऊर्जा विभाग	1991-92	1	2.51
	1996-97	4	4.12
	1997-98	3	3.38
	1998-99	3	1.64
	1999-00	7	16.56
	2000-01	6	14.24
	2001-02	2	2.60
	2002-03	1	0.80
	2003-04	4	4.50
	2004-05	10	122.07
	2005-06	13	13.46

मंत्रालय/विभाग	अवधि, जिससे अनुदान संबंधित हैं (मार्च 2013 तक)	मार्च 2013 तक जारी अनुदानों के संबंध में बकाया उपयोग प्रमाणपत्र जो 31 मार्च 2014 तक देय थे	
		संख्या	राशि
	2006-07	46	101.25
	2007-08	39	262.72
	2008-09	24	68.45
	2009-10	34	458.49
	2010-11	45	570.58
	2011-12	170	972.32
	2012-13	204	1418.48
	कुल	616	4038.17
कार्मिक, लोक शिकायत	2008-09	4	7.94
i) कार्मिक प्रशिक्षण विभाग	2009-10	2	7.12
	2010-11	1	1.50
	2011-12	0	0.00
	2012-13	20	54.80
	कुल	27	71.36
उपभोक्ता मामले	1996-97	8	3.24
(i) उपभोक्ता मामले विभाग	1997-98	7	2.43
	1998-99	4	1.35
	1999-00	1	0.23
	2000-01	3	0.86
	2001-02	2	0.90
	2002-03	10	15.93
	2003-04	2	2.79
	2004-05	4	6.66
	2005-06	0	0.00
	2006-07	9	19.00
	2007-08	1	2.50
	2008-09	0	0.00
	2009-10	3	6.48
	2010-11	4	55.95
	2011-12	5	153.59
	2012-13	17	250.42
	कुल	80	522.33

मंत्रालय/विभाग	अवधि, जिससे अनुदान संबंधित हैं (मार्च 2013 तक)	मार्च 2013 तक जारी अनुदानों के संबंध में बकाया उपयोग प्रमाणपत्र जो 31 मार्च 2014 तक देय थे	
		संख्या	राशि
(ii) खाद्य एवं लोक संवितरण विभाग	2009-10	3	1129.00
	2010-11	1	26.28
	2011-12	3	137.65
	2012-13	3	110.93
	कुल	10	1403.86
संस्कृति	1990-91	1	0.05
	1991-92	7	2.09
	1992-93	233	893.88
	1993-94	320	1004.90
	1994-95	218	249.49
	1995-96	288	2395.98
	1996-97	85	351.10
	1997-98	113	213.38
	1998-99	68	2120.78
	1999-2000	37	219.61
	2000-01	81	289.02
	2001-02	34	267.75
	2002-03	95	768.67
	2003-04	84	501.48
	2004-05	131	350.93
	2005-06	95	705.96
	2006-07	130	1182.61
	2007-08	237	3719.29
	2008-09	96	1696.51
	2009-10	118	2304.16
2010-11	287	2948.21	
2011-12	488	2243.91	
2012-13	2	79.51	
कुल	3248	24509.27	
युवा मामले एवं खेल कूद i) युवा मामले विभाग	1987-88	19	10.44
	1988-89	71	36.11
	1989-90	116	30.59
	1990-91	164	72.27
	1991-92	111	51.97

मंत्रालय/विभाग	अवधि, जिससे अनुदान संबंधित हैं (मार्च 2013 तक)	मार्च 2013 तक जारी अनुदानों के संबंध में बकाया उपयोग प्रमाणपत्र जो 31 मार्च 2014 तक देय थे	
		संख्या	राशि
	1992-93	225	145.19
	1993-94	219	167.72
	1994-95	143	168.68
	1995-96	189	239.25
	1996-97	209	267.39
	1997-98	64	77.45
	1998-99	251	393.01
	1999-2000	314	400.11
	2000-01	298	341.23
	2001-02	10	13.32
	2002-03	307	604.04
	2003-04	285	469.35
	2004-05	235	398.88
	2005-06	157	229.67
	2006-07	28	216.47
	2007-08	486	649.87
	2008-09	93	204.76
	2009-10	26	156.14
	2010-11	34	2404.61
	2011-12	11	3335.59
	2012-13	54	1340.72
	कुल	4119	12424.83
ii) खेल-कूद विभाग	1988-89	4	1.75
	1989-90	23	12.77
	1990-91	6	3.03
	1991-92	8	5.53
	1992-93	56	51.41
	1993-94	59	2398.89
	1994-95	21	15.53
	1995-96	71	62.10
	1996-97	40	86.11
	1997-98	47	36.51
	1998-99	43	13955.75
	1999-00	174	571.66
	2000-01	294	514.68

मंत्रालय/विभाग	अवधि, जिससे अनुदान संबंधित हैं (मार्च 2013 तक)	मार्च 2013 तक जारी अनुदानों के संबंध में बकाया उपयोग प्रमाणपत्र जो 31 मार्च 2014 तक देय थे	
		संख्या	राशि
	2001-02	1	1.13
	2002-03	237	458.98
	2003-04	340	781.53
	2004-05	490	978.23
	2005-06	14	173.33
	2006-07	11	294.51
	2007-08	710	17.47
	2008-09	9	464.70
	2009-10	18	1065.49
	2010-11	31	660.22
	2011-12	19	972.93
	2012-13	114	4782.88
	कुल	2840	28367.12
iii) राष्ट्रमण्डल खेल विभाग	2008-09	6	5832.43
	2009-10	62	87273.31
	2010-11	73	10033.49
	कुल	141	103139.23
महिला एवं बाल विकास	1986-87	91	353.39
	1987-88	156	534.34
	1988-89	228	477.23
	1989-90	262	661.74
	1990-91	179	602.84
	1991-92	196	974.78
	1992-93	177	1068.06
	1993-94	283	794.43
	1994-95	251	926.58
	1995-96	181	698.03
	1996-97	335	1732.57
	1997-98	248	925.65
	1998-99	207	2642.41
	1999-2000	175	931.58
	2000-01	156	2004.82
	2001-02	247	1006.83
	2002-03	335	1714.34

मंत्रालय/विभाग	अवधि, जिससे अनुदान संबंधित हैं (मार्च 2013 तक)	मार्च 2013 तक जारी अनुदानों के संबंध में बकाया उपयोग प्रमाणपत्र जो 31 मार्च 2014 तक देय थे	
		संख्या	राशि
	2003-04	117	983.08
	2004-05	151	1124.16
	2005-06	71	1004.71
	2006-07	33	595.70
	2007-08	54	1865.36
	2008-09	97	887.37
	2009-10	62	2150.87
	2010-11	121	1403.18
	2011-12	57	610.18
	2012-13	141	2597.42
	कुल	4611	31271.65
अल्पसंख्यक मामले	2008-09	1	5000.00
	2009-10	29	5456.70
	2010-11	126	1443.15
	2011-12	103	1117.04
	2012-13	73	594.86
	कुल	332	13611.75
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	1987-88	208	156.02
	1988-89	519	618.68
	1989-90	247	338.64
	1990-91	432	459.71
	1991-92	462	517.35
	1992-93	332	585.04
	1993-94	545	885.69
	1994-95	690	1202.47
	1995-96	790	1303.37
	1996-97	395	754.65
	1997-98	430	9582.84
	1998-99	306	1075.40
	1999-00	238	2169.03
	2000-01	217	3623.17
	2001-02	335	4056.92
	2002-03	213	1098.86
	2003-04	306	1664.34

मंत्रालय/विभाग	अवधि, जिससे अनुदान संबंधित हैं (मार्च 2013 तक)	मार्च 2013 तक जारी अनुदानों के संबंध में बकाया उपयोग प्रमाणपत्र जो 31 मार्च 2014 तक देय थे	
		संख्या	राशि
	2004-05	551	3271.39
	2005-06	422	1495.42
	2006-07	252	6779.39
	2007-08	712	5519.20
	2008-09	406	7421.34
	2009-10	105	607.94
	2010-11	249	2694.59
	2011-12	261	2005.34
	2012-13	423	5438.79
	कुल	10046	65325.58
पोत परिवहन	2008-09	01	10.00
	2009-10	00	0.00
	2010-11	02	7.63
	2011-12	03	57.86
	2012-13	06	224.28
	कुल	12	299.77
भारी उद्योग	2003-04	1	20.00
	2004-05	1	300.00
	2005-06	3	660.00
	2006-07	0	0.00
	2007-08	0	0.00
	2008-09	0	0.00
	2009-10	1	2559.00
	2010-11	1	11992.00
	2011-12	14	37111.00
	2012-13	उ.न.	उ.न.
	कुल	21	52642.00
रसायन एवं पेट्रोरसायन	2009-10	3	20.56
	2010-11	1	3.09
	2011-12	3	7.53
	2012-13	6	22.13
	कुल	13	53.31

मंत्रालय/विभाग	अवधि, जिससे अनुदान संबंधित हैं (मार्च 2013 तक)	मार्च 2013 तक जारी अनुदानों के संबंध में बकाया उपयोग प्रमाणपत्र जो 31 मार्च 2014 तक देय थे	
		संख्या	राशि
भेषजीय	2008-09	1	1000.00
	2009-10	7	1681.14
	2010-11	4	700.10
	2011-12	1	45.00
	2012-13	11	2839.68
	कुल	24	6265.92
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	1991-92	2	6.20
	1992-93	7	81.36
	1993-94	17	140.69
	1994-95	22	152.86
	1995-96	18	142.24
	1996-97	11	154.43
	1997-98	14	222.52
	1998-99	30	284.56
	1999-00	26	316.46
	2000-01	45	419.65
	2001-02	51	1172.85
	2002-03	61	1222.22
	2003-04	112	1576.71
	2004-05	163	1744.90
	2005-06	258	3385.69
	2006-07	267	3944.47
	2007-08	412	6577.19
	2008-09	243	3108.16
	2009-10	289	4152.77
	2010-11	304	5644.11
2011-12	173	7177.09	
2012-13	179	6731.81	
	कुल	2704	48358.94
मानव संसाधन विकास (i) उच्चतर शिक्षा विभाग	1977-78	1	3.50
	1978-79	23	29.26
	1979-80	16	18.32
	1980-81	9	17.20
	1981-82	11	21.10

मंत्रालय/विभाग	अवधि, जिससे अनुदान संबंधित हैं (मार्च 2013 तक)	मार्च 2013 तक जारी अनुदानों के संबंध में बकाया उपयोग प्रमाणपत्र जो 31 मार्च 2014 तक देय थे	
		संख्या	राशि
	1982-83	32	67.65
	1983-84	19	36.31
	1984-85	15	28.56
	1985-86	77	382.02
	1986-87	26	94.96
	1987-88	91	491.51
	1988-89	76	359.36
	1989-90	75	515.23
	1990-91	12	11.75
	1991-92	40	297.96
	1992-93	45	427.15
	1993-94	57	553.33
	1994-95	17	122.33
	1995-96	20	180.59
	1996-97	20	270.76
	1997-98	29	337.27
	1998-99	32	169.99
	1999-00	90	382.05
	2000-01	80	648.53
	2001-02	85	736.64
	2002-03	161	1632.28
	2003-04	139	2052.71
	2004-05	145	4146.43
	2005-06	209	1309.50
	2006-07	65	6167.95
	2007-08	23	78.89
	2008-09	30	363.64
	2009-10	153	2490.29
	2010-11	304	8840.38
	2011-12	18	604.24
	2012-13	37	5804.15
	कुल	2282	39693.79
(ii) स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग	1982-83	1	5.00
	1983-84	0	0.00
	1984-85	1	0.60

मंत्रालय/विभाग	अवधि, जिससे अनुदान संबंधित हैं (मार्च 2013 तक)	मार्च 2013 तक जारी अनुदानों के संबंध में बकाया उपयोग प्रमाणपत्र जो 31 मार्च 2014 तक देय थे	
		संख्या	राशि
	1985-86	9	5.05
	1986-87	19	17.70
	1987-88	4	13.09
	1988-89	21	74.24
	1989-90	33	55.61
	1990-91	9	20.84
	1991-92	7	8.93
	1992-93	10	77.23
	1993-94	27	298.03
	1994-95	34	461.22
	1995-96	49	1052.35
	1996-97	44	479.54
	1997-98	39	155.21
	1998-99	52	1338.09
	1999-00	54	422.78
	2000-01	38	1707.30
	2001-02	59	6382.57
	2002-03	96	8736.02
	2003-04	200	2943.31
	2004-05	131	1991.20
	2005-06	83	6786.26
	2006-07	95	7886.70
	2007-08	44	1998.58
	2008-09	49	1492.49
	2009-10	28	13792.81
	2010-11	24	8596.81
	2011-12	108	137429.63
	2012-13	239	751498.41
	कुल	1607	955727.60
श्रम एवं रोजगार	1979-80	1	0.01
	1980-81	0	0.00
	1981-82	0	0.00
	1982-83	2	0.13
	1983-84	0	0.00
	1984-85	0	0.00

मंत्रालय/विभाग	अवधि, जिससे अनुदान संबंधित हैं (मार्च 2013 तक)	मार्च 2013 तक जारी अनुदानों के संबंध में बकाया उपयोग प्रमाणपत्र जो 31 मार्च 2014 तक देय थे	
		संख्या	राशि
	1985-86	3	1.62
	1986-87	0	0.00
	1987-88	3	2.94
	1988-89	1	6.21
	1989-90	9	10.10
	1990-91	14	19.29
	1991-92	8	26.59
	1992-93	1	0.31
	1993-94	5	3.89
	1994-95	3	3.71
	1995-96	13	92.10
	1996-97	100	182.82
	1997-98	4	4.31
	1998-99	14	16.36
	1999-00	19	25.56
	2000-01	23	41.49
	2001-02	13	38.21
	2002-03	8	4.64
	2003-04	5	23.34
	2004-05	17	94.04
	2005-06	4	7.05
	2006-07	13	449.39
	2007-08	20	302.49
	2008-09	22	743.47
	2009-10	26	416.98
	2010-11	47	1288.98
	2011-12	90	1915.91
	2012-13	108	3351.32
	कुल	596	9073.26
शहरी विकास	1985-86	1	1.00
	1987-88	1	3.00
	1989-90	1	1.50
	1993-94	2	2.56
	1999-00	2	8.19
	2003-04	6	29.91

मंत्रालय/विभाग	अवधि, जिससे अनुदान संबंधित हैं (मार्च 2013 तक)	मार्च 2013 तक जारी अनुदानों के संबंध में बकाया उपयोग प्रमाणपत्र जो 31 मार्च 2014 तक देय थे	
		संख्या	राशि
	2005-06	8	926.51
	2006-07	5	279.42
	2007-08	13	299.85
	2008-09	8	1049.15
	2009-10	20	2668.84
	2010-11	24	4504.81
	2011-12	29	6908.11
	2012-13	30	11407.21
	कुल	150	28090.06
आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन	1995-96	1	2.20
	1996-97	1	1.10
	2003-04	7	1604.09
	2004-05	2	1356.52
	2005-06	1	481.77
	2006-07	22	361.73
	2007-08	1	4.38
	2008-09	2	226.45
	2009-10	6	1638.86
	2010-11	87	14824.52
	2011-12	138	9030.03
	2012-13	75	29576.32
	कुल	343	59107.97
खान	2011-12	0	0.00
	2012-13	4	158.87
	कुल	4	158.87
अंतरिक्ष	1976-77	1	0.05
	1979-80	1	0.05
	1980-81	1	0.38
	1981-82	1	0.03
	1982-83	5	0.69
	1983-84	1	0.02
	1984-85	3	0.97
	1985-86	1	0.05

मंत्रालय/विभाग	अवधि, जिससे अनुदान संबंधित हैं (मार्च 2013 तक)	मार्च 2013 तक जारी अनुदानों के संबंध में बकाया उपयोग प्रमाणपत्र जो 31 मार्च 2014 तक देय थे	
		संख्या	राशि
	1986-87	5	1.30
	1987-88	2	4.88
	1989-90	2	0.07
	1993-94	1	0.10
	1998-99	1	0.20
	1999-00	2	1.30
	2000-01	3	34.87
	2001-02	5	60.91
	2002-03	11	162.75
	2003-04	15	198.48
	2004-05	13	218.74
	2005-06	23	101.61
	2006-07	16	25.88
	2007-08	13	40.30
	2008-09	12	134.30
	2009-10	36	150.80
	2010-11	25	78.68
	2011-12	28	79.07
	2012-13	54	433.62
	कुल	281	1730.10
जनजातीय मामले	2010-11	0	0.00
	2011-12	73	1490.00
	2012-13	91	35102.68
	कुल	164	36592.68
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1986-87	1	0.50
i) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	1987-88	1	12.00
	1988-89	0	0.00
	1989-90	0	0.00
	1990-91	0	0.00
	1991-92	0	0.00
	1992-93	0	0.00
	1993-94	7	63.38
	1994-95	1	0.31
	1995-96	54	188.02

मंत्रालय/विभाग	अवधि, जिससे अनुदान संबंधित हैं (मार्च 2013 तक)	मार्च 2013 तक जारी अनुदानों के संबंध में बकाया उपयोग प्रमाणपत्र जो 31 मार्च 2014 तक देय थे	
		संख्या	राशि
	1996-97	66	137.92
	1997-98	39	638.28
	1998-99	46	453.43
	1999-00	39	1136.47
	2000-01	53	1422.76
	2001-02	34	898.49
	2002-03	68	1691.54
	2003-04	149	2970.29
	2004-05	186	13355.20
	2005-06	231	17380.58
	2006-07	297	16851.80
	2007-08	207	13902.44
	2008-09	201	17105.46
	2009-10	211	13975.15
	2010-11	252	56586.01
	2011-12	923	188925.72
	2012-13	1236	1009123.99
	कुल	4302	1356819.74
ii) आयुष विभाग	1993-94	1	20.86
	1994-95	0	0.00
	1995-96	1	0.68
	1996-97	4	22.05
	1997-98	0	0.00
	1998-99	14	85.98
	1999-00	2	5.39
	2000-01	12	136.19
	2001-02	14	55.25
	2002-03	16	94.17
	2003-04	14	154.09
	2004-05	128	1305.61
	2005-06	126	636.44
	2006-07	280	9478.36
	2007-08	292	12419.49
	2008-09	358	21402.21

मंत्रालय/विभाग	अवधि, जिससे अनुदान संबंधित हैं (मार्च 2013 तक)	मार्च 2013 तक जारी अनुदानों के संबंध में बकाया उपयोग प्रमाणपत्र जो 31 मार्च 2014 तक देय थे	
		संख्या	राशि
	2009-10	361	17394.30
	2010-11	203	15441.31
	2011-12	299	53208.62
	2012-13	2125	131861.00
	कुल		
iii) एड्स नियंत्रण विभाग			
	2003-04	13	576.56
	2004-05	9	354.81
	2005-06	11	424.44
	2006-07	6	85.49
	2007-08	11	392.52
	2008-09	16	753.17
	2009-10	13	311.03
	2010-11	1	0.30
	2011-12	8	316.61
	2012-13	181	62283.02
	कुल	269	65497.95
iv) स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग			
	2011-12	5	7526.88
	2012-13	23	57540.00
	कुल	28	65066.88
आर्थिक कार्य			
	2011-12	0	0.00
	2012-13	2	0.30
	कुल	2	0.30
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रम			
	2005-06	1	1.00
	2006-07	1	1.25
	2007-08	1	0.95
	2008-09	8	5.43
	2009-10	37	143.20

मंत्रालय/विभाग	अवधि, जिससे अनुदान संबंधित हैं (मार्च 2013 तक)	मार्च 2013 तक जारी अनुदानों के संबंध में बकाया उपयोग प्रमाणपत्र जो 31 मार्च 2014 तक देय थे	
		संख्या	राशि
	2010-11	70	699.05
	2011-12	29	335.41
	2012-13	95	6403.45
	कुल	242	7589.74
रसायन एवं उर्वरक (उर्वरक विभाग)	2011-12	0	0.00
	2012-13	1	164.23
	कुल	1	164.23
कुल योग		44329	4387499.40

परिशिष्ट - V

(पैराग्राफ 1.6 के संदर्भ में)

व्यक्तिगत केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के लेखों पर महत्वपूर्ण अभ्यक्तियां

1. कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट, कोलकाता

i. चालू देयताएं एवं प्रावधान - ₹ 2594.68 करोड़

बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार वर्तमान कर्मचारियों के पेंशन व उपदान की देयता क्रमशः ₹1913.80 करोड़ एवं ₹300.60 करोड़ (कुल ₹2214.40 करोड़) थी जिसके विरुद्ध ₹1332.32 करोड़ की निधियां उपलब्ध थी। यद्यपि इस तथ्य को लेखाओं पर टिप्पणी (क्र.सं. 32) में दर्शाया गया था, परंतु ₹882.08 करोड़ की कमी को लेखाओं में नहीं दर्शाया गया। इसके अतिरिक्त 31.03.2014 को एवं उससे पहले सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की पेंशन के बीमांकिक मूल्यांकन को ₹1693.38 करोड़ पर आंका गया था। इस प्रकार की देयता हेतु न तो किसी निधि का प्रावधान किया गया और न ही 31.03.2014 को समाप्त अवधि के लेखाओं में दर्शाया गया। अतः प्रोद्भूत पेंशन तथा उपदान की देयता के लिए प्रावधान न करने का परिणाम कर्मचारी लाभ के प्रावधान और घाटे को ₹2575.46 करोड़ तक की राशि द्वारा कम दर्शाए जाने में हुआ।

ii. विविध ऋणी- सरकारी बकाया -अन्य: ₹ 493.97 करोड़ तथा

विविध ऋणी : गैर-सरकारी बकाया - अन्य : ₹ 1075.96 करोड़

उपरोक्त में 2003-04 से पूर्व के ₹30.30 करोड़ के पुराने सरकारी बकाये तथा ₹31.37 करोड़ के गैर-सरकारी बकाये शामिल हैं। इस राशि की वसूली संदेहास्पद है क्योंकि इन दावों के संबंध में लेखापरीक्षा को कोई भी फाईल/दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराये गये। ऐसे ऋणियों के विरुद्ध कोई प्रावधान नहीं किया गया था। इसका परिणाम विविध ऋणियों को ₹61.67 करोड़ तक की राशि द्वारा अधिक दर्शाने में और घाटे को इतनी ही राशि के बराबर कम दर्शाने में हुआ।

2. पारादीप पोर्ट ट्रस्ट

i. निवेश - ₹1682.47 करोड़

पारादीप पोर्ट ट्रस्ट के द्वारा मैसर्स सेतुसमुद्रम कॉरपोरेशन लिमिटेड, चेन्नई में किये गये लम्बी अवधि के निवेश ₹30 करोड़ की अवनति हेतु प्रावधान सुनिश्चित नहीं किया गया। यह लेखाकरण मानदण्ड-13, जो निवेश के लेखाकरण से संबंधित है, के विपरीत है।

ii. मियादी जमाओं व अन्य निधियों पर ब्याज – ₹92.72 करोड़

उपरोक्त में सांविधिक निधियों जैसे पूंजीगत परिसम्पत्तियों की प्रतिस्थापना, पुनर्वास एवं आधुनिकीकरण हेतु निधि तथा आकस्मिकता निधि एवं ऋणों में सुधार, पुनर्भुगतान से सम्बंधित ₹7.48 करोड़ की ब्याज की आय शामिल है। इसे संबंधित निधि में जमा किया जाना चाहिए था। अतः उपरोक्त आय को ₹7.48 करोड़ बढ़ा कर दर्शाया गया तथा पूंजीगत परिसम्पत्तियों की प्रतिस्थापना, पुनर्वास एवं आधुनिकीकरण हेतु निधि तथा आकस्मिकता निधि एवं ऋणों में सुधार, पुनर्भुगतान को क्रमशः ₹4.25 करोड़ व ₹3.23 करोड़ कम करके दर्शाया गया। इसके अतिरिक्त इसके परिणामस्वरूप आयकर से पहले शुद्ध अधिशेष को ₹7.48 करोड़ बढ़ा कर दिखाया गया।

3. जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट

i. नकदी व बैंक शेष

राष्ट्रीयकृत बैंकों में मियादी जमायें - ₹ 2646.28 करोड़

उपरोक्त में फरवरी 2014 में ओरिएण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स में जमा करवाई गयी ₹71.19 करोड़ की राशि शामिल है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट न तो मियादी जमा पावतियों प्रस्तुत कर सका और न ही बैंक से पुष्टिकरण उपलब्ध करवा सका। जवाहरलाल नेहरू ट्रस्ट ने बताया कि उसके द्वारा बैंक को मियादी पावती जारी करने या ब्याज सहित पैसा वापस करने के लिए कई अनुस्मारक भेजे गए। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट के मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा 6 मार्च 2014 को मामला सी.बी.आई. को भेजा गया तथा 7 मार्च 2014 को एफ.आई.आर. दर्ज की गयी।

इसका परिणाम नकदी व बैंक शेष का अधिकथन तथा लाभ को ₹71.19 करोड़ द्वारा अधिक दिखाने में हुआ।

ii. चालू देयताएं व प्रावधान - ₹1987.56 करोड़

इसमें पंच-निर्णय के आधार पर, जिसे ट्रस्टी बोर्ड द्वारा 6 मई 2014 की मीटिंग में स्वीकार किया गया, गेटवे टर्मिनल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को वापस की जाने वाली ₹5.99 करोड़ की राशि शामिल नहीं है। इसका परिणाम चालू देयताओं को कम दिखाने एवं लाभ को ₹5.99 करोड़ बढ़ाकर दिखाने में परिणत हुआ।

4. कांडला पोर्ट ट्रस्ट

i. निवेश-पेट्रोनेट के साथ इक्विटी सह-भागिता - ₹ 5 करोड़

इसमें वर्ष 2000 के दौरान पेट्रोनेट वी.के. लिमिटेड में इक्विटी सह-भागिता के लिए निवेश किये गए ₹5.00 करोड़ शामिल हैं। पेट्रोनेट वी.के. लिमिटेड घाटे में चल रही थी तथा उसका निवल मूल्य ऋणात्मक था। इसे देखते हुए पेट्रोनेट वी.के. लिमिटेड में किये गए निवेश को बहूटे खाते में डाल देना चाहिए था। इसका परिणाम निवेश व लाभ को ₹5 करोड़ बढ़ाकर दिखाने में हुआ।

ii. चालू परिसम्पत्तियों, ऋण व अग्रिम - भविष्य निधि निवेशों पर प्रोद्भूत ब्याज- ₹ 21.65 करोड़

इसमें उत्तर प्रदेश का प्रदेशीय औद्योगिक एवं निवेश निगम, उत्तर प्रदेश सहकारी स्पिनिंग मिल्स फेडरेशन और मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम में निवेश किये गये ₹8.23 करोड़ पर ₹7.55 करोड़ का ब्याज शामिल है। चूंकि कांडला पोर्ट ट्रस्ट द्वारा किये गए प्रयासों के बावजूद, जिसमें कानूनी कार्यवाही भी शामिल है, राशि प्राप्त करने में असफलता रही, लेखों में संशयात्मक ऋण के लिए प्रावधान किया जाना चाहिए था। इसका परिणाम भविष्य निधि के निवेशों पर प्रोद्भूत ब्याज व चालू देयताओं (भविष्य निधि) को ₹7.55 करोड़ की राशि द्वारा बढ़ाकर दिखाने में हुआ।

5. मोर्मुगाओ पोर्ट ट्रस्ट

i. स्थायी/पूंजीगत परिसम्पत्तियां - सकल ब्लॉक - ₹ 637.17 करोड़

इसमें क्रमशः 3 मई 2010 एवं 4 मार्च 2010 को सेतुसमुद्रम कॉरपोरेशन लिमिटेड, चेन्नई से खरीदी गयी दो मार्गदर्शी नौकाओं अर्थात् 'पुलिवसल' और 'शिगल' की खरीद पर किया गया ₹6.46 करोड़ का व्यय शामिल नहीं था। इसका परिणाम स्थायी परिसम्पत्तियों व चालू देयताओं के ₹6.46 करोड़ के कम कथन और अवमूल्यन एवं हानि के ₹1.29 करोड़ के कम कथन में हुआ।

ii. सामान्य

लेखाकरण मानक 15 - (सेवानिवृत्ति लाभों का लेखाकरण) के अनुसार जहाँ सेवानिवृत्ति लाभों संबंधी देयता के लिए ट्रस्ट के सृजन के माध्यम से धन का प्रबंध किया जाता है, वहाँ वर्ष के दौरान वहन लागत को बीमांकिक आधार पर नियत किया जाना चाहिए। बीमांकिक रिपोर्ट में मूल्यांकन अवधि के दौरान नियोक्ता द्वारा किए जाने वाले वार्षिक अंशदान का निर्धारण किया गया था। बीमांकिक रिपोर्ट में दर्शाये इस वार्षिक अंशदान को प्रतिवर्ष लाभ व हानि खाते पर भारित किया जाना चाहिए था। मो.पो.ट्र. द्वारा सेवानिवृत्ति निधि, सामूहिक उपदान निधि और छुट्टी नकदीकरण निधि का बीमांकिक देयता के आधार पर प्रावधान नहीं किया गया जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है:

₹ करोड़ में

क्र.सं.	निधि का नाम	31 मार्च 2014 को बीमांकिक देयता	31 मार्च 2014 निधि का शेष	हानि
1.	पेंशन ट्रस्ट निधि	1149.11	484.40	664.71
2.	उपदान ट्रस्ट निधि	95.35	53.59	41.76
3.	छुट्टी नकदीकरण निधि	47.88	20.58	27.30
	कुल	1292.34	558.57	733.77

पेंशन निधि, उपदान निधि व छुट्टी नकदीकरण निधि का बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रावधान न किये जाने का परिणाम ₹733.77 करोड़ की राशि द्वारा देयता तथा हानि को कम दर्शाए जाने में हुआ।

6. मुंबई पोर्ट ट्रस्ट

ऋण एवं अग्रिम - सहायक कम्पनियों/पत्तनों को अग्रिम व ऋण – ₹ 1720.37 करोड़

इसमें पूर्ववर्ती बॉम्बे डॉक लेबर बोर्ड (बॉ.डॉ.ले.बो.) को, उसके द्वारा किये गए व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए, 1994 से 2014 के बीच दिए गए ₹1720.37 करोड़ का अग्रिम शामिल है। मु.पो.ट्र. द्वारा मंत्रालय को भेजा गया (सितम्बर 2005) दावा, मई 2006 एवं अगस्त 2007 में इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया कि बॉ.डॉ.ले.बो. को कोई भी बजट सहायता नहीं दी जा सकती एवं इसे अपने संसाधन स्वयं जुटाने होंगे। चूंकि सरकार के पास कोई दावा विचाराधीन नहीं था तथा बॉ.डॉ.ले.बो. से इस राशि की वसूली होने की बहुत कम संभावना

थी, इसके लिए खातों में प्रावधान किया जाना चाहिए था। इसका परिणाम प्रावधानों एवं हानि को ₹1720.37 करोड़ की राशि के बराबर कम दर्शाए जाने में हुआ।

7. विशाखापत्तनम पोर्ट ट्रस्ट

i. निवेश- सामान्य आरक्षित निधि का निवेश- ₹ 48.00 करोड़

पोर्ट ट्रस्ट द्वारा मैसर्स सेतुसमुद्रम कॉरपोरेशन लिमिटेड (से.स.कॉ.लि.), चेन्नई में किये गए ₹30 करोड़ के दीर्घ अवधि के निवेश में होने वाली कमी के मूल्यांकन का प्रावधान सुनिश्चित नहीं किया गया। यह निवेश के लेखाकरण से संबंधित लेखाकरण मानक-13 के विपरीत है।

ii. सहायक कम्पनियों/पत्तनों/न्यासों को अग्रिम एवं ऋण – ₹ 3.40 करोड़

वि.पो.ट्र. द्वारा मैसर्स आर.आई.टी.इ.एस. को आन्ध्र प्रदेश के दुग्गाराजपत्तनम में नए प्रमुख पत्तनों के विकास के लिए तकनीकी-आर्थिक संभाव्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए दिये गये ₹5.56 करोड़ के भुगतान को राजस्व व्यय में दर्शाया गया। भारत सरकार के निर्णयानुसार, उपरोक्त व्यय भविष्य में बनने वाली संयुक्त उपक्रम कम्पनी में वि.पो.ट्र. की इक्विटी का हिस्सा बनेगा। अतः व्यय को राजस्व व्यय के स्थान पर अग्रिम के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए। इसका परिणाम प्रबंधन व सामान्य प्रशासन संबंधी खर्चों के ₹5.56 करोड़ की राशि से अधिकथन तथा चालू परिसम्पत्तियों के अंतर्गत सहायक कम्पनियों/पत्तनों/न्यासों को अग्रिम एवं ऋण तथा कर पूर्व लाभ के इसी राशि से कम कथन में हुआ।

8. चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट

प्रावधान – कर्मचारियों से संबंधित लाभ - ₹ 50.17 करोड़

इसमें 01.01.2007 से 31.12.2011 और 01.01.2012 से 31.12.2013 की अवधि के लिए सीशोर कैंटीन के कर्मियों तथा चेन्नई डॉक लेबर बोर्ड महिला कल्याण संस्था के स्टाफ के वेतन संशोधन के बकाया की एकमुश्त अदायगी के लिए दिए जाने वाले ₹1.84 करोड़ शामिल नहीं है। इसका परिणाम प्रावधान व हानि को ₹1.84 करोड़ की राशि के बराबर कम दर्शाए जाने में हुआ।

9. कोचीन पोर्ट ट्रस्ट

i. निधियों की प्रयोज्यता-स्थायी/पूंजीगत परिसम्पत्तियाँ - निवल ब्लॉक - ₹ 422.30 करोड़

इसमें आई.सी.टी.टी. चैनल के पूंजीगत निष्कर्षण जिसे पूरा कर लिया गया था तथा अप्रैल 2013 में 14.5 मीटर ढांचे की घोषणा की गयी थी, पर होने वाला ₹10.40 करोड़ का व्यय शामिल था। इस व्यय को कैपिटल वर्क-इन-प्रोग्रेस के अंतर्गत लेखांकित किये जाने का परिणाम पूंजीगत कैपिटल वर्क-इन-प्रोग्रेस को ₹10.40 करोड़ को बढ़ाकर दर्शाए जाने में हुआ तथा प्रत्येक स्थाई परिसम्पत्तियों के इसी राशि के समकक्ष कम कथन में हुआ एवं जिसका क्रमिक परिणाम मूल्यहास व हानि को ₹0.10 करोड़ की राशि के बराबर कम दर्शाए जाने में हुआ।

ii. चालू देयताएं और प्रावधान - ₹478.29 करोड़

बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार मौजूदा कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के प्रति पेंशन और उपदान संबंधी देयताएँ ₹2224.65 करोड़ थीं। तथापि 31 मार्च 2014 को जीवन बीमा निगम को दिए गए अंशदान और उस पर अर्जित ब्याज मात्र ₹232.69 करोड़ था। अतः देय अंशदान में ₹1991.96 करोड़ की कमी थी, जिसका प्रावधान न करने का परिणाम देयताओं एवं प्रावधानों के कम कथन तथा परिणामस्वरूप ₹1991.96 करोड़ की हानि के कम कथन में परिणत हुआ।

10. वी.ओ.सी. पोर्ट ट्रस्ट

स्थाई परिसम्पत्तियाँ - भूमि- ₹ 14.44 करोड़

इसमें भूमि खरीदने के लिए, जिसके लिए ट्रस्ट द्वारा मार्च 2014 में ₹20.03 करोड़ का भुगतान किया गया था, लिया गया ₹10.01 करोड़ का ऋण शामिल नहीं था। इसका परिणाम भूमि और चालू देयताओं में से प्रत्येक को ₹10.01 करोड़ की राशि के बराबर कम दिखाने में हुआ।

11. कोलकाता डॉक लेबर बोर्ड

i. निर्धारित/एन्डोमेन्ट फण्ड - ₹7.42 करोड़

यह अनुरूप समान निवेश के बिना केवल बही शेष को दर्शाता है। इसलिए निर्धारित/एन्डोमेन्ट फण्ड के संबंध में समान निवेश की आवश्यकता को पूरा नहीं किया गया।

ii. चालू देयताएं और प्रावधान - ₹1119.53 करोड़

इसमें के.ओ.पी.टी. द्वारा बकाया किराये पर दावा किया गया ₹1.47 करोड़ का ब्याज शामिल नहीं है। इसका परिणाम चालू देयताओं के कम कथन के साथ-साथ और आय पर व्यय आधिक्य को ₹1.47 करोड़ की राशि के बराबर कम दर्शाए जाने में हुआ।

12. भारतीय विमानपत्तन आर्थिक नियामक प्राधिकरण

चालू देयताएं और प्रावधान - ₹ 2.29 करोड़

इसे निम्नलिखित कारणों से ₹429.91 लाख राशि के बराबर कम दिखाया गया:-

(₹ लाख में)

क.	एयर इण्डिया लिमिटेड के द्वारा भा.वि. आ.नि.प्रा. के कर्मचारियों को उपलब्ध करवाये गए हवाई टिकटों की देयता का प्रावधान न करना	3.96
ख.	वर्ष 2012-13 व 2013-14 के लिए लेखापरीक्षा फीस की देयता का प्रावधान	8.75
ग.	2010-11 से 2013-14 की अवधि के दौरान भा.वि.प्रा. से ली गई श्रम सेवाओं का प्रावधान न करना	421.49
घ.	एअर इण्डिया लिमिटेड का देय पट्टे की देयता का अधिक प्रावधान	(-) 4.29
	कुल	429.91

परिणामतः आय पर व्यय के आधिक्य को ₹429.91 लाख की राशि द्वारा कम दिखाया गया।

13. डी.एम.आई.सी. परियोजना क्रियान्वयन न्यास निधि

अर्जित ब्याज - ₹40.74 करोड़

इसमें वर्ष 2013-14 के दौरान निर्धारित निधि पर अर्जित ₹9.41 करोड़ का ब्याज शामिल है। इसे स्पष्ट व पृथक रूप से निर्धारित निधि की आय दर्शाया जाना चाहिए था तथा वर्ष के अंत में अर्जित ब्याज के कॉर्पस/पूँजीगत लेखा में अंतरित करने के बजाए निर्धारित निधि में अंतरित करना चाहिए था। इससे सहायता अनुदान की शर्तों का भी उल्लंघन होता है। इसका परिणाम कॉर्पस/पूँजीगत लेखा के अधिकथन तथा निर्धारित निधि के ₹9.41 करोड़ से कम कथन में हुआ।

14. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड, नई दिल्ली

स्थायी परिसम्पत्तियाँ (सकल परिब्लॉक) - ₹4.29 करोड़

इसमें पिछले वर्षों में 'किराया, दरें एवं कर' में किए गए प्रावधान में से इण्डियन ऑयल लिमिटेड को देय/दिए गए फर्नीचर व फिक्चर (₹2.68 करोड़), कार्यालय उपकरण (₹0.38 करोड़) तथा संयंत्र एवं उपकरण (₹0.83 करोड़) का 3.89 करोड़ शामिल नहीं हैं। व्यय का पूंजीकरण करने एवं प्रावधान का प्रतिलेखन करने के बजाए है पै.प्रा.गै.नि.बो. द्वारा व्यय को 'किराया, दरें एवं कर' के अंतर्गत दर्ज किया गया।

इसका परिणाम स्थायी परिसंपत्तियों तथा 'पूर्वकालिक आय' को ₹3.89 करोड़ की राशि के बराबर कम दर्शाए जाने में हुआ। चूंकि उपयोग की गई परिसंपत्तियों का ब्यौरा उपलब्ध नहीं कराया गया था, मूल्यहास के प्रभाव को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता।

15. कपड़ा समिति

चालू देयताएं और प्रावधान - ₹ 1044.30 लाख

समिति की आय को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10(20) के अंतर्गत कर से छूट प्राप्त नहीं है क्योंकि समिति उस धारा के स्पष्टीकरण में विनिर्दिष्ट स्थानीय प्राधिकरणों में से एक नहीं है। इसके अतिरिक्त, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 11 के अधीन आयकर छूट प्राप्त करने के लिए समिति धारा 12ए के अंतर्गत पंजीकृत नहीं है। पिछले वर्षों में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के बावजूद, समिति द्वारा न तो राशि का अनुमान लगाया गया और न ही निर्धारण वर्ष 2003-04 से आयकर की देयता का प्रावधान किया गया।

16. खादी ग्राम और उद्योग आयोग

एण्डोमेंट फण्ड – ₹ 234.12 करोड़

i. आयोग द्वारा अपनायी गयी लेखांकन नीति के अनुसार विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों को दिए गए योजनागत अनुदानों को भुगतान किए गए वर्ष में (अनुसूची 18-ए का पैरा 3.4) व्यय के रूप में दर्शाया गया है। दोषपूर्ण लेखांकन नीति के परिणामस्वरूप एण्डोमेंट फण्ड के शेषों, जोकि क्षेत्रीय कार्यालयों तथा आयोग के निदेशालयों के पास उपलब्ध, अव्ययित योजनागत निधि के शेषों का कुल योग था, को ₹509.47 करोड़ रुपये की राशि से कम दर्शाया गया। परिणामस्वरूप 'रोकड़ एवं बैंक शेषों को समान राशि से कम बताया गया'।

ii. एण्डोमेंट फण्ड में आयोग द्वारा कई वर्षों में (प्रबंधन के पास 1964 से दिए गए अग्रिम तथा संवितरण के वास्तविक वर्षों की सही जानकारी उपलब्ध नहीं थी) इसके यूनिट कार्यालयों, राज्य निर्देशकों, संस्थानों (₹55.31 करोड़) तथा नोडल बैंकों को (₹22.56 करोड़) दिए गए अग्रदाय अग्रिम के ₹114.95 करोड़ शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, आयोग के पास ₹36.18 करोड़ के अग्रदाय अग्रिमों का ब्यौरा नहीं है। प्रतिपूर्ति वाउचरों (अनुसूची 18-बी, पैरा 6.3) के अभाव में इन शेषों का समायोजन बकाया है। ठोस/निश्चित कार्रवाई किए बिना वसूली/समायोजन हेतु ऐसी पुरानी मदों को निरंतर अग्रिम दर्शाये जाने का परिणामस्वरूप एण्डोमेंट फण्ड शेषों तथा ऋण और अग्रिमों को ₹114.05 करोड़ की राशि तक अधिक बताया गया।

17. तेल उद्योग विकास बोर्ड

i. चालू देयताएं और प्रावधान - ₹ 629.14 करोड़

इसमें 2010-11 से असम सरकार को देय रॉयल्टी के अंतर का ₹4.25 करोड़ शामिल है जबकि हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय के अनुसार, दिसम्बर 2010 से असम राज्य के आमगुड़ी क्षेत्र में तेल/संघनन का कोई उत्पादन नहीं हुआ तथा उससे पूर्व के सभी भुगतान कर दिए गए थे।

ii. अन्य प्रशासनिक व्यय - ₹9.46 करोड़

इसमें ते.उ.वि.बो. द्वारा अप्रैल 2006 के दौरान नोएडा में 90 वर्षों के पट्टे पर लिए गए भूखण्ड के लिए वार्षिक किराये के बदले भुगतान की गई एकमुश्त राशि के तौर पर फरवरी 2014 में जमा किए गए ₹2.49 करोड़ रुपये शामिल है। एकमुश्त राशि का भुगतान एक स्थायी परिसम्पत्ति है क्योंकि इसका लाभ 82 वर्षों के दौरान प्राप्त होगा।

18. दिल्ली विकास प्राधिकरण

i. छुट्टी नकदीकरण फण्ड - ₹ 466.23 करोड़

छुट्टी नकदीकरण फण्ड (छु.न.फ.) का उपरोक्त अंतिम शेष, अनुसूची-एफ-‘चिन्हित/वृत्तिदान निधि का निवेश’ में दर्शाए गए छुट्टी नकदीकरण फण्ड की ₹203.32 करोड़ की राशि के निवेश से मेल नहीं खाता। यह छु.न.फ. के निवेशों में ₹262.91 करोड़ के कमी को सूचित करता है।

ii. स्थापना तथा प्रशासन- ₹ 273.96 करोड़

क) 31.3.2014 को समाप्त वर्ष के लिए पेंशन व्ययों के ₹700.48 करोड़ के बीमांकिक मूल्यांकन के प्रति, दि.वि.प्रा. द्वारा केवल ₹150.84 करोड़ का प्रावधान किया गया। अतः दि.वि.प्रा. द्वारा, लेखाकरण मानक 15-‘सेवानिवृत्ति लाभ का लेखांकन’ के उल्लंघन में, ₹549.64 करोड़ का कम प्रावधान किया गया। इसके परिणामस्वरूप व्यय को ₹549.64 करोड़ की राशि तक कम बताये जाने के साथ घाटे को उतनी राशि तक कम बताया गया।

ख) 31.3.2014 को समाप्त वर्ष के लिए छुट्टी नकदीकरण खर्चों के ₹67.96 करोड़ के बीमांकिक मूल्यांकन के प्रति दि.वि.प्रा. द्वारा केवल ₹24.54 करोड़ का प्रावधान किया गया। अतः दि.वि.प्रा. द्वारा लेखाकरण मानक 15-‘सेवानिवृत्ति लाभ’ के उल्लंघन में व्ययों का ₹43.42 करोड़ की राशि के बराबर कम प्रावधान किया गया। इसके परिणामस्वरूप व्यय को ₹43.42 करोड़ की राशि तक कम बताए जाने के साथ घाटे को उसी वर्ष के लिए समान राशि तक कम बताया गया।

iii. तैयार स्टॉक- निर्मित मकान - ₹ 956.69 करोड़

कुछ प्रभागों (रोहिणी परियोजना प्रभाग- 6 और 10, पश्चिमी प्रभाग-3 तथा दक्षिणी-पश्चिमी प्रभाग-8) में निर्मित मकानों की सूची की नमूना जांच से पता चला कि मूल्यांकन पंजिका के अनुसार मकानों का अंतिम शेष 324 था जबकि प्रभाग के अभिलेखों के अनुसार मकानों का वास्तविक स्टॉक केवल 169 था। अतः 155 मकान जिनका मूल्य ₹18.48 करोड़ था, तैयार माल की सूची में दिखाए गए थे, जो पहले ही विक्रय कर दिए गए थे। इसके परिणामस्वरूप अंतिम स्टॉक को ₹18.48 करोड़ की राशि द्वारा अधिक बताया गया और घाटे को समान राशि तक कम बताया गया। चूंकि यह अभ्युक्ति नमूना जांच के मामलों में की गई थी, अन्य प्रभागों में इस प्रकार की अनियमितताओं की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

19. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, दिल्ली

विभिन्न जमा - ₹ 278.49 करोड़

उपरोक्त में क.भ.नि.स. द्वारा, नई पेंशन योजना के प्रति कर्मचारियों से प्राप्त ₹15.29 करोड़ रुपये के अंशदान के बराबर राशि का अनिवार्य अंशदान शामिल नहीं है। इसके परिणामस्वरूप व्यय व विविध जमाओं को उतनी ही राशि के बराबर कम बताया गया और राजस्व अधिशेष को ₹15.29 करोड़ की राशि के बराबर अधिक बताया गया।

20. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, दिल्ली**चालू परिसम्पत्तियाँ, ऋण और अग्रिम – ₹ 463.82 करोड़**

वर्ष के दौरान प्रतिभूति जमाओं पर अर्जित ₹1.05 करोड़ का ब्याज विश्वविद्यालय की आय के रूप में दर्शाया जाना चाहिए था क्योंकि इसे वापस नहीं किया जाना था। तथापि, विश्वविद्यालय द्वारा इसे प्रतिभूति जमाओं में दर्ज किया गया। इसके परिणामस्वरूप आय को ₹1.05 करोड़ रुपये की राशि को कम बताया गया और चालू देयताओं को उतनी ही राशि के बराबर अधिक बताया गया।

21. दिल्ली पब्लिक पुस्तकालय, दिल्ली**चालू देयताएं और प्रावधान – ₹ 1.59 करोड़**

दिल्ली पब्लिक पुस्तकालय ने ₹7 करोड़ मूल्य के सेवानिवृत्ति लाभों व कर्मचारियों के प्रति अन्य देयताओं के लिए वार्षिक लेखाओं में प्रावधान नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप चालू देयताओं और व्यय में से प्रत्येक को ₹7 करोड़ की राशि से कम बताया गया।

22. केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली**चालू देयताएं व प्रावधान – ₹ 296.09 करोड़**

₹1.47 करोड़ के व्ययों, जो प्रोद्भूत थे परंतु जिनका भुगतान नहीं किया गया था, के लिए देयताओं का प्रावधान नहीं किया गया जिसका परिणाम चालू देयताओं को कम बताए जाने व उतनी ही राशि के बराबर सामान्य निधि को अधिक बताए जाने में हुआ।

23. श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, दिल्ली**चालू देयताएं व प्रावधान – ₹ 15.94 करोड़**

नई पेंशन योजना की ₹2.22 करोड़ की देयताओं और परिसम्पत्तियों को लेखाओं में नहीं दर्शाया गया जिसका परिणाम परिसम्पत्तियों व देयताओं को ₹2.22 करोड़ की राशि के बराबर कम बताए जाने में हुआ।

24. हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद**चालू देयताएं और प्रावधान - ₹ 227.55 करोड़**

i. 31.3.2014 को बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार सेवानिवृत्ति लाभों की ₹118.06 करोड़ की वास्तविक देयता के प्रति ₹10.4 करोड़ का प्रावधान करने के कारण चालू देयताओं

और प्रावधानों को ₹107.66 करोड़ की राशि तक कम बताया गया। इसके परिणामस्वरूप व्यय को भी ₹107.66 करोड़ की राशि के बराबर कम बताया गया।

ii. चालू देयताओं और प्रावधानों में प्रतिबंधन तथा नियंत्रण शास्त्रि शुल्क, जिसमें आंध्र प्रदेश केन्द्रीय विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड द्वारा छूट नहीं दी गई थी, के भुगतान के लिए ₹2.41 करोड़ की देयता का प्रावधान शामिल नहीं था। इसके परिणामस्वरूप चालू देयताओं व प्रावधानों तथा व्यय को ₹2.41 करोड़ की राशि तक कम बताया गया तथा पूंजीगत निधि को ₹2.41 करोड़ की राशि तक अधिक बताया गया।

25. राष्ट्रीय वनस्पति स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान, हैदराबाद

चालू परिसम्पत्तियाँ, ऋण तथा अग्रिम आदि- ₹ 34.11 करोड़

चालू परिसम्पत्तियों, ऋण तथा अग्रिम आदि में, आयातित विश्लेषणात्मक उपकरण तथा प्रयोगशाला उपस्कर जिन्हें संस्थान द्वारा पिछले वर्षों (2012-13) के दौरान स्थापित/सौंपा और उपयोग किया गया परंतु जिनका इस आधार पर, कि अग्रिम भुगतान के लिए परामर्शदाता (मैसर्स आर.आई.टी.ई.एस.) से अंतिम बिल प्राप्त नहीं हुए, पूंजीगत नहीं किया गया, के लिए ₹5.70 करोड़ का अग्रिम भुगतान शामिल है। इसके परिणामस्वरूप स्थायी परिसम्पत्तियों को ₹5.7 करोड़ की राशि तक कम बताया गया तथा चालू परिसम्पत्तियों, ऋण तथा अग्रिम को उतनी ही राशि तक अधिक बताया गया। इस स्थायी परिसम्पत्ति पर मूल्याहस का प्रावधान भी नहीं किया गया था।

26. राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, राउरकेला

मूल्याहस - ₹ 26.73 करोड़

पुस्तकालय पुस्तकों पर, आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत निर्धारित 60 प्रतिशत के स्थान पर 15 प्रतिशत मूल्याहस लगाये जाने के कारण इसे ₹3.09 करोड़ तक कम बताया गया जिसके परिणामस्वरूप पूंजीगत/कार्पस निधि को तथा स्थायी परिसम्पत्ति को ₹3.09 करोड़ की राशि द्वारा अधिक बताया गया।

27. गुरु घासीदास विश्वविद्यालय (गु.घा.वि.), बिलासपुर**चालू देयताएँ और प्रावधान - ₹ 55.52 करोड़**

अंशदायी भविष्य निधि के लिए ₹1.73 करोड़ के नियोक्ता के हिस्से की देयता का प्रावधान नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप प्रावधानों एवं व्यय को ₹1.73 करोड़ की राशि से कम बताया गया।

28. राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रायपुर**स्थायी परिसम्पत्तियाँ - ₹ 7.36 करोड़**

राजकीय अभियांत्रिकी कॉलेज, रायपुर (जी.ई.सी.) से एन.आई.टी. (01.12.2005) में परिवर्तित होते समय एन.आई.टी. द्वारा जी.ई.सी. से परिसम्पत्तियाँ और देयताएँ प्राप्त की गईं। तथापि, आठ वर्ष बीत जाने के बावजूद परिसम्पत्तियों व देयताओं की गणना नहीं की जा सकी तथा उन्हें तुलन पत्र में नहीं दर्शाया जा रहा है। इसका परिणाम परिसम्पत्तियों और देयताओं दोनों को उस सीमा तक कम दर्शाये जाने में हुआ।

29. मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एम.आ.रा.प्रौ.सं.), भोपाल**स्थायी परिसम्पत्तियाँ : ₹225.89 करोड़**

इसमें विभिन्न पूंजीगत कार्य, जिन्हें वर्ष 2013-14 के दौरान पूरा किया परन्तु राजस्व व्यय के रूप में माना गया था, का ₹3.25 करोड़ का मूल्य शामिल नहीं है। इसके परिणामस्वरूप स्थायी परिसम्पत्तियों की मूल्यहास निवल राशि को ₹3.09 करोड़ की राशि से कम बताया गया तथा व्यय इसी राशि के बराबर अधिक बताया गया।

30. उत्तर-पूर्वी पर्वतीय विश्वविद्यालय, शिलांग**अन्य प्राप्ति: ₹ 146.85 लाख**

संस्थान की महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों (अनुसूची-18) के अनुसार, भवनों से प्राप्त होने वाली आय को प्रोद्भूत आधार पर लेखांकित किया जाना है। तथापि, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान शिलांग को किराये पर दिए गए भवन पर ₹108.65 लाख की प्रोद्भूत किराए की आय को लेखांकित नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप आय को ₹108.65 लाख की राशि तक कम बताया गया और घाटे को समान राशि तक अधिक तथा समान राशि से चालू परिसम्पत्तियों को कम बताया गया।

31. अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़

पूँजीगत आरक्षित निधि तथा स्थायी परिसम्पत्तियाँ: ₹ 2541.90 करोड़

विश्वविद्यालय द्वारा, उसकी महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों में दिए गए दरों पर, वर्ष के दौरान मूर्त परिसम्पत्तियों पर मूल्यहास प्रभारित नहीं किया गया। इसका परिणाम ₹15.01 करोड़ की राशि के बराबर मूल्यहास को कम बताए जाने और उतनी ही राशि तक पूँजीगत आरक्षित निधि तथा स्थायी परिसम्पत्तियों को अधिक बताए जाने में हुआ।

32. बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी

स्थायी परिसम्पत्तियाँ – ₹ 1395.10 करोड़

विश्वविद्यालय द्वारा 2009-10 तथा 2010-11 के दौरान विभिन्न संस्वीकृत कार्यों के लिए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को भुगतान के लिए ₹68.05 करोड़ के चैक तैयार किए तथा वास्तविक भुगतान से पहले ही इन्हें भवनों के अंतर्गत दर्ज किया। 2013-14 के अंत तक ये चैक के.लो.नि.वि. को नहीं सौंपे गए। इसके परिणामस्वरूप, 'भवन' को ₹68.05 करोड़ की राशि तक अधिक "बैंक शेष" शीर्ष के अंतर्गत 'चालू परिसम्पत्तियों' को उतनी ही राशि तक कम बताया गया।

33. बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ

शैक्षणिक व्यय - ₹5.00 करोड़

विश्वविद्यालय ने ₹1.26 करोड़ मूल्य की पत्रिका और प्रकाशन खरीदे परंतु इनका पूँजीकरण नहीं किया गया। इसकी बजाय इन मदों को शैक्षणिक व्यय के अंतर्गत दर्शाया गया। इसके परिणामस्वरूप शैक्षणिक व्ययों को ₹1.26 करोड़ की राशि तक अधिक बताया गया और स्थायी परिसम्पत्तियों के साथ मूल्यहास को भी क्रमशः ₹50.29 लाख तथा ₹75.43 लाख की राशि के बराबर कम बताया गया।

34. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रुड़की

चालू देयताएं और प्रावधान

i. संस्थान ने 2013-14 के दौरान ₹3.36 करोड़ मूल्य की पुस्तकें, फर्नीचर व फीक्चर, कम्प्यूटर और बाह्य उपकरण, मशीनरी और उपकरण खरीदे परंतु इन मदों का पूँजीकरण नहीं किया गया क्योंकि भुगतान वर्ष के दौरान नहीं किया गया था। इसका परिणाम स्थायी

परिसम्पत्तियों व चालू देयताओं को ₹3.36 करोड़ की राशि के बराबर कम बताए जाने में हुआ।

ii. एम.टेक. के विद्यार्थियों की फेलोशिप के बकाया भुगतान की ₹1.88 करोड़ की राशि को चालू देयताओं के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया। इसका परिणाम व्यय तथा चालू देयताओं को ₹1.88 करोड़ की राशि तक कम बताए जाने में हुआ।

iii. संस्थान ने पत्रिकाएं व आवधिक पत्रिका के संबंधित ₹1.22 करोड़ के बकाया भुगतान को चालू देयता शीर्ष के अंतर्गत शामिल नहीं किया था जिसके परिणामस्वरूप चालू देयता तथा स्थायी परिसम्पत्तियों को ₹1.22 करोड़ की राशि तक कम बताया गया।

35. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी

i. मूल्यहास - ₹ 27.25 करोड़

संस्थान द्वारा संयंत्र एवं मशीनरी पर कंपनी अधिनियम में विनिर्दिष्ट 4.75 प्रतिशत के स्थान पर 9.5 प्रतिशत मूल्यहास लगाये जाने के कारण उपरोक्त राशि को ₹6.13 करोड़ तक अधिक बताया गया। इसका परिणाम स्थायी परिसम्पत्तियों को इतनी ही राशि के बराबर अधिक बताए जाने में हुआ।

ii. अनुदान/आर्थिक सहायता - ₹ 140.16 करोड़

घोषित लेखाकरण नीति (अनुसूची 17 का क्र.सं. 6(बी)) के विपरीत तथा अनुरक्षण उद्देश्यों के लिए अनुदान के अप्रयुक्त शेष को पिछले वर्षों के दौरान निरंतर चालू देयताओं के रूप में दर्शाए जाने के कारण इस प्रकार के अनुदान के अव्ययित शेष की ₹23.04 करोड़ की राशि को आय खाते में रखा गया। अप्रयुक्त शेष का चालू देयताओं में अंतरण न किए जाने का परिणाम ₹23.04 करोड़ तक अनुदान/आर्थिक सहायता के अधिक बताए जाने, चालू देयताओं को कम बताए जाने के साथ उस वर्ष के घाटे को इतनी ही राशि के बराबर कम बताए जाने में हुआ।

36. विश्व भारती, शान्ति निकेतन

स्थायी परिसम्पत्तियाँ - ₹ 133.69 करोड़

स्थायी परिसम्पत्तियों के नवीकरण और निर्माण पर ₹2.94 करोड़ के खर्च को विकास (चिन्हित) निधि के अंतर्गत राजस्व व्यय के रूप में दर्शाए जाने के कारण उपरोक्त राशि को

₹2.94 करोड़ तक कम बताया गया। इसका परिणाम चिन्हित निधियों को उसी सीमा तक कम बताए जाने में भी हुआ।

37. गनीखान चौधरी अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी संस्थान, मालदा

अनुदान/आर्थिक सहायता – शून्य

वेतन और मजदूरी के लिए ₹262.02 लाख के आवर्ती अनुदान को आय खाते में दर्ज न करके पूंजीगत लेखा में क्रेडिट किया गया यद्यपि इन मदों में किए गए खर्च को व्यय खाते में दर्ज किया गया था।

इसका परिणाम अनुदान/आर्थिक सहायता को ₹262.02 लाख की राशि के बराबर कम बताया तथा वर्ष की आय से व्यय आधिक्य को उतनी ही राशि के बराबर अधिक बताया गया।

38. त्रिपुरा विश्वविद्यालय

चालू परिसम्पत्तियाँ – ₹ 69.17 करोड़

₹14.61 करोड़ के 'बैंक शेष' व अन्य स्थायी परिसम्पत्तियों को जो राज्य विश्वविद्यालय की अवधि से संबंधित थे, अभी तक केन्द्रीय विश्वविद्यालय के खातों में शामिल नहीं किया गया है जिसका परिणाम कॉर्पस निधि और चालू परिसम्पत्तियों दोनों को ₹14.61 करोड़ की राशि के बराबर कम दिखाए जाने में हुआ।

39. जे.आई.पी.एम.ई.आर., पाण्डिचेरी

स्थायी परिसम्पत्ति - ₹ 690.13 करोड़

₹11.16 करोड़ के पूंजीगत व्यय (पुस्तकों व पत्रिकाओं, मशीनरी और उपकरण की खरीद तथा बड़े पूंजीगत कार्य) को आय एवं व्यय विवरणी में राजस्व व्यय के रूप में दिखाए जाने के परिणामस्वरूप स्थायी परिसम्पत्तियों को ₹11.16 करोड़ की राशि तक कम बताया गया तथा उतनी राशि के बराबर व्यय और कॉर्पस निधि को अधिक बताया गया।

40. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास (चेन्नई)

चालू देयताएं और प्रावधान- ₹ 76.43 करोड़

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, डी.आर.डी.ओ., मा.सं. मंत्रालय, इसरो इत्यादि जैसे विभिन्न अभिकरणों से प्राप्त परियोजनाओं की अप्रयुक्त निधियों को

मियादी जमाओं और बचत बैंक खातों में जमा किया गया। यद्यपि प्रायोजित करने वाले अभिकरणों के नियमानुसार परियोजनाओं के लिए दी गई निधियों पर अर्जित ब्याज को संबंधित परियोजना लेखाओं को क्रेडिट किया जाना चाहिए परंतु इन जमाओं पर अर्जित ₹25.04 करोड़ के ब्याज को आय माना गया। इसका परिणाम चालू देयताओं को ₹25.04 करोड़ की राशि तक कम बताने व आय को उतनी राशि तक अधिक बताए जाने में हुआ।

41. नारियल विकास बोर्ड, कोच्चि

चालू परिसम्पत्तियाँ, ऋण तथा अग्रिम – ₹ 21.26 करोड़

इन्हें 2013-14 की अवधि के दौरान 'नारियल बागानों का पुनः वृक्षारोपण और कायाकल्प' के अंतर्गत विभिन्न फार्मों को सामग्री की आपूर्ति के लिए बीजक के आधार पर 31 मार्च 2014 को लिखे गये 2 चैकों की ₹8.34 करोड़ की राशि द्वारा उपरोक्त राशियों को कम बताया गया जिसके लिए वास्तविक आपूर्ति तुलन पत्र की तिथि के बाद की गई तथा जिसके परिणामस्वरूप व्यय को उतनी ही राशि के बराबर अधिक बताया गया।

42. पी.जी.आई.एम.ई.आर., चण्डीगढ़

i. चिन्हित/वृत्तिदान निधियाँ – रोगी अनुदान - ₹ 2756.95 लाख

उपरोक्त में विभिन्न पैकेज प्रभारों (हृदय रोग विभाग: ₹62.82 लाख, स्त्रीरोग विभाग: ₹10.08 लाख और नैत्रिकी विभाग: ₹115.40 लाख) के लिए प्राप्त ₹188.30 लाख की राशि शामिल है जिसे संस्थान की आय में शामिल किया जाना चाहिए था इसका परिणाम देयता (रोगी अनुदान) को ₹188.30 लाख की राशि तक अधिक बताने के साथ आय और कॉर्पस/पूँजीगत निधि को उसी सीमा तक कम बताया गया।

ii. चालू परिसम्पत्तियाँ ऋण, अग्रिम तथा अन्य परिसम्पत्तियाँ - आपूर्तिकर्ताओं (मुख्य पी.जी.आई.) को अग्रिम भुगतान - ₹ 274.54 करोड़

उपरोक्त में संस्थान द्वारा 2013-14 तक आयातित व प्राप्त किए गए उपकरणों का 80 प्रतिशत मूल्य ₹7233.59 लाख शामिल हैं। संस्थान द्वारा माल प्राप्त होने व स्थापित हो जाने पर, किए गए उपरोक्त भुगतान को अग्रिम माना जाता है, जब तक कि अंतिम भुगतान प्राप्त न हो जाएं। तत्पश्चात अग्रिम का समायोजन किया जाना है और परिसम्पत्ति का पूँजीकरण किया जाता है। यह प्रणाली मानक लेखाकरण/लेखांकन परम्परा के अनुरूप नहीं है क्योंकि जैसे ही परिसम्पत्ति/उपकरण प्राप्त हो गया और स्थापित हो गया बही खातों में आवश्यक पूँजीकरण कर दिया जाना चाहिए था तथा शेष राशि के लिए देयता का प्रावधान

किया जाना चाहिए था। पूंजीकरण न किये जाने के परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ताओं (मुख्य पी.जी.आई) को ₹7233.59 लाख की राशि का अग्रिम भुगतान अधिक बताया गया तथा चालू देयताओं को ₹1944.09 लाख तक कम बताया गया व स्थायी परिसम्पत्तियों को क्रमशः ₹9177.68 लाख की राशि तक कम बताया गया। इसके अतिरिक्त, इस संबंध में लेखांकन नीति को भी प्रकट नहीं किया गया।

43. सरदार वल्लभभाई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सूरत

अर्जित ब्याज - ₹ 16,081

संस्थान द्वारा केनरा बैंक में ₹18.60 करोड़ सावधि जमा निवेश किए गये। तथापि, 31.03.2014 तक ₹1.14 करोड़ की ब्याज की प्राप्त आय को लेखांकन नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप, अर्जित ब्याज और चालू परिसम्पत्तियों को ₹1.14 करोड़ की राशि तक कम और व्यय आधिक्य को अधिक बताया गया।

44. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जोधपुर

चालू देयताएं तथा प्रावधान - ₹ 2929.50 लाख

संस्थान तथा जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय (ज.ना.व.वि.), जोधपुर के मध्य निष्पादित (फरवरी 2010) समझौता ज्ञापन के अनुसार दो वर्षों के लिए अस्थायी आधार पर, जिसे पारस्परिक सहमति से दिसम्बर 2013 तक बढ़ाया गया था। ज.ना.व.वि. से लिए गए परिसर के लिए ₹21,61,374.00 प्रति माह की दर से किराया दिया जाना था। संस्थान ने प्रारम्भ के दो वर्षों के लिए ₹518.73 लाख के किराए का भुगतान किया तथा जून 2012 तक के व्यय को दर्ज कर लिया। तथापि, जुलाई 2012 से मार्च 2014 तक की अवधि के लिए देय ₹453.89 लाख के किराये के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया। इसका परिणाम खर्चों और चालू देयताओं को ₹453.89 लाख की राशि के बराबर कम बताए जाने में हुआ।

45. भारतीय खदान विद्यालय, धनबाद

स्थायी परिसम्पत्तियाँ- योजनागत - ₹ 118.44 करोड़

i. यद्यपि ₹5.10 करोड़ की लागत से निर्मित “60 कमरों वाले बालिका छात्रावास” का निर्माण व सुपुर्दगी के.लो.नि.वि., द्वारा 30.3.2011 को पूर्ण कर ली गई थी और 2011-12 में विद्यालय द्वारा इसका उपयोग भी प्रारम्भ कर दिया गया था, परंतु मूल्यहास 2011-12 से नहीं लगाया गया। मूल्यहास केवल 2013-14 से लगाया गया। इसके परिणामस्वरूप,

मूल्यहास को कम तथा शीर्ष 'सड़कें और भवन' के अंतर्गत स्थायी परिसम्पत्तियों को ₹1.02 करोड़ से अधिक बताया गया।

ii. विद्यालय ने जनवरी 2014 से दिसम्बर 2014 की अवधि के दौरान वैज्ञानिक पत्रिकाओं की खरीद के लिए विभिन्न अभिकरणों को ₹271.00 लाख के अग्रिमों का भुगतान किया। 31.3.2014 तक, विद्यालय को ₹37.22 लाख का अंशदान प्राप्त हुआ। ₹233.78 लाख की शेष राशि को पत्रिकाओं की वास्तविक प्राप्ति से भी पहले, 'पुस्तकालयी पुस्तकें' शीर्ष के अंतर्गत दर्ज किया गया। इसके परिणामस्वरूप, 'पुस्तकालयी पुस्तकें' शीर्ष के अंतर्गत स्थायी परिसम्पत्तियों को ₹233.78 की राशि के बराबर अधिक और अग्रिम को कम बताया गया।

46. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना

स्थायी परिसम्पत्ति - ₹ 203.54 करोड़

लेखावर्ष के दौरान संस्थान को विभिन्न प्रकाशकों की पत्रिकाओं और जर्नल के ई-संसाधन डाटाबेस के उपागम्यता का विशेषाधिकार प्राप्त हुआ। संस्थान ने ई-संसाधन डाटाबेस की उपागम्यता के विशेषाधिकार का जिसकी लागत ₹3.14 करोड़ थी, 'पुस्तकालयी पुस्तकें' शीर्ष के तहत पूंजीकरण किया। चूंकि एक वर्ष के लिए डाटाबेस के उपयोग के अधिकार से संस्थान को डाटाबेस का न तो स्वामित्व अधिकार प्राप्त हुआ और न ही ई-संसाधन डाटाबेस का स्थायी लाभ प्राप्त हुआ, लेखाओं में ई-संस्थान का पूंजीकरण किया जाना अनियमित था जिसका परिणाम स्थायी परिसम्पत्तियों को ₹3.14 करोड़ की राशि तक अधिक बताने और व्यय को कम बताने में हुआ।

परिशिष्ट - VI

(पैराग्राफ 1.6 (क) के संदर्भ में)

स्वायत्त निकायों की सूची जिनकी 2013-14 के दौरान आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई थी

क्र.सं.	स्वायत्त निकाय का नाम
1.	केन्द्रीय वक्फ परिषद, नई दिल्ली
2.	राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, नई दिल्ली
3.	स्वलीनता, प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात, मानसिक मंदता तथा बहु अक्षम व्यक्तियों के कल्याण हेतु राष्ट्रीय न्यास , नई दिल्ली
4.	भारतीय दंत परिषद, नई दिल्ली
5.	भारतीय नर्सिंग परिषद, नई दिल्ली
6.	भारतीय भेषजी परिषद, नई दिल्ली
7.	राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, नई दिल्ली
8.	केन्द्रीय यूनानी औषधि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
9.	राष्ट्रीय आयुर्वेदिक विद्यापीठ, नई दिल्ली
10.	केन्द्रीय योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
11.	केन्द्रीय भारतीय औषधि परिषद, नई दिल्ली
12.	केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
13.	मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान, नई दिल्ली
14.	राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड, नई दिल्ली
15.	भारतीय चिकित्सा परिषद, नई दिल्ली
16.	राष्ट्रीय विधिक सेवाएं प्राधिकरण, नई दिल्ली
17.	नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय, नई दिल्ली
18.	राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, नई दिल्ली
19.	राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली
20.	राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली
21.	भण्डारण विकास एवं नियामक प्राधिकरण, नई दिल्ली
22.	राष्ट्रीय सिंधी भाषा प्रोत्साहन परिषद, नई दिल्ली
23.	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग, नई दिल्ली
24.	राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली
25.	भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
26.	जामिया मिलिया इस्लामियां, नई दिल्ली

27.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली
28.	राष्ट्रीय शैक्षणिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय, नई दिल्ली
29.	भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद, नई दिल्ली
30.	राष्ट्रीय बाल भवन, नई दिल्ली
31.	भारतीय एतिहासिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
32.	उत्तर पूर्वी इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विज्ञान संस्थान, शिलांग
33.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इंदौर
34.	राष्ट्रीय अदालती अकादमी, भोपाल
35.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक
36.	डा. हरी सिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर, मध्य प्रदेश
37.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रायपुर
38.	राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति
39.	मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, हैदराबाद
40.	हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद
41.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, वारंगल
42.	राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान, हैदराबाद
43.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भुवनेश्वर
44.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, राउरकेला
45.	केन्द्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कोकराझार
46.	गनी खान चौधरी अभियांत्रिकी तथा प्रौद्योगिकी संस्थान, मालदा
47.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहटी
48.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सिलचर, असम
49.	तेजपुर विश्वविद्यालय, असम
50.	एशियाई समिति, कोलकाता
51.	विश्व भारती, शांतिनिकेतन
52.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, काशीपुर
53.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर
54.	केन्द्रीय हिन्दी शिक्षा मण्डल, आगरा
55.	उत्तर केन्द्रीय क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, इलाहाबाद
56.	रामपुर राजा पुस्तकालय, रामपुर
57.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ऋषिकेश
58.	बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ
59.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रुड़की

60.	मोती लाल नेहरू प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद
61.	नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र, नोएडा
62.	हेमवती नंदन बहुगुणा, गढ़वाल विश्वविद्यालय, उत्तराखंड
63.	कोलकाता गोदी श्रमिक बोर्ड, कोलकाता, पश्चिम बंगाल
64.	राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, कोलकाता
65.	राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, गुवाहटी
66.	निर्यात निरीक्षण अभिकरण, कोलकाता
67.	राजीव गांधी विश्वविद्यालय, दोईमुख, पापुम्पारे जिला, अरुणाचल प्रदेश
68.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (रा.प्रौ.सं.), यूपिया, पापुम्पारे जिला, अरुणाचल प्रदेश
69.	उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (उ.पूर.क्षे.वि.प्रौ.सं.), नीरजूली, पापुम्पारे जिला, अरुणाचल प्रदेश
70.	केन्द्रीय हिमालयी संस्कृति एवं अध्ययन संस्थान (के.हि.सं.अ.सं.), दाहोंग, पश्चिम कामेंग जिला अरुणाचल प्रदेश
71.	मिजोरम विश्वविद्यालय, आईजोल
72.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, आईजोल
73.	राष्ट्रीय यूनानी औषधीय संस्थान, बेंगलोर
74.	राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान, बेंगलोर
75.	कर्नाटक केन्द्रीय विश्वविद्यालय, गुलबर्गा
76.	उत्तर पूर्वी क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, दीमापुर, नागालैंड
77.	नागालैंड विश्वविद्यालय, लूमामी
78.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, अगरतला
79.	त्रिपुरा विश्वविद्यालय
80.	तटीय जल संस्कृति प्राधिकरण, चेन्नई
81.	राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण तथा अनुसंधान संस्थान, चेन्नई
82.	राष्ट्रीय सिध्दा संस्थान, चेन्नई
83.	गांधीग्राम ग्रामीण संस्थान, डीडीगुल, तमिलनाडु
84.	केन्द्रीय सिध्दा अनुसंधान परिषद, तमिलनाडु
85.	राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान, सिरीपेरम्पुदुर
86.	नारियल विकास बोर्ड, कोच्ची
87.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कोझीकोड
88.	राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान, पूणे
89.	दक्षिण केन्द्रीय क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, नागपुर
90.	महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, वर्धा
91.	पंजाब केन्द्रीय विश्वविद्यालय, भटिंडा

92.	हरियाणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय, नारनौल/महेन्द्रगढ़
93.	राष्ट्रीय तिलहन एवं वनस्पति तेल विकास बोर्ड, गुड़गांव
94.	जम्मू केन्द्रीय विश्वविद्यालय, जम्मू
95.	केन्द्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान, लेह
96.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, श्रीनगर
97.	स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़
98.	राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण, चण्डीगढ़
99.	जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण, चण्डीगढ़
100.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मणिपुर
101.	मणिपुर विश्वविद्यालय, मणिपुर
102.	राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर
103.	मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जयपुर
104.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जोधपुर
105.	नव नालन्दा महाविहार, बिहार
106.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना
107.	झारखण्ड केन्द्रीय विश्वविद्यालय, ब्राम्बे, राँची
108.	भारतीय खान विद्यालय, धनबाद
109.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जमशेदपुर
110.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गांधीनगर
111.	गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय, गांधी नगर
112.	भारतीय विमान पत्तन आर्थिक नियामक प्राधिकरण, नई दिल्ली
113.	राजघाट समाधि समिति, नई दिल्ली
114.	डी.एम.आई.सी. परियोजना कार्यान्वयन ट्रस्ट निधि, नई दिल्ली
115.	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड, नई दिल्ली
116.	वस्त्र समिति, मुंबई
117.	कलकता गौदी श्रमिक बोर्ड, कोलकाता
118.	राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, कोलकाता
119.	राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, गुवाहटी
120.	निर्यात निरीक्षण अभिकरण, कोलकाता
121.	लक्षद्वीप भवन विकास बोर्ड, लक्षद्वीप
122.	कोयर बोर्ड, नई दिल्ली
123.	भारतीय बीमा नियामक विकास प्राधिकरण, हैदराबाद

परिशिष्ट - VII

(पैराग्राफ 1.6 (ख) के संदर्भ में)

स्वायत्त निकायों की सूची जिनमें वर्ष 2013-14 के दौरान स्थायी परिसम्पत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था

क्र.सं.	स्वायत्त निकाय का नाम
1.	भारतीय विश्व मामले परिषद, नई दिल्ली
2.	भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, नई दिल्ली
3.	राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, नई दिल्ली
4.	भारतीय पुनर्वास परिषद, नई दिल्ली
5.	भारतीय प्रैस परिषद, नई दिल्ली
6.	केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
7.	संगीत नाटक अकादमी, नई दिल्ली
8.	ललित कला अकादमी, नई दिल्ली
9.	राष्ट्रीय संग्रहालय संस्थान, नई दिल्ली
10.	राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, नई दिल्ली
11.	दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, नई दिल्ली
12.	राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली
13.	राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, नई दिल्ली
14.	राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली
15.	केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण, नई दिल्ली
16.	राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली
17.	कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, नई दिल्ली
18.	योजना एवं वास्तुकला विद्यालय, नई दिल्ली
19.	श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली
20.	भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
21.	उत्तर पूर्वी पर्वतीय विश्वविद्यालय, शिलांग
22.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मेघालय
23.	अटल बिहारी बाजपेयी भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी तथा प्रबंधन संस्थान, ग्वालियर
24.	पं.द्वारका प्रसाद मिश्रा भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी तथा प्रबंधन संस्थान, जबलपुर
25.	डा. हरी सिंह गौड़ विश्वविद्यालय सागर, मध्य प्रदेश

26.	अंग्रेजी एवं विदेशी भाषाएं विश्वविद्यालय, हैदराबाद
27.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, वारंगल
28.	राष्ट्रीय मानसिक अपंगता संस्थान, सिकंदराबाद
29.	राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति
30.	हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद
31.	मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, हैदराबाद
32.	राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान, हैदराबाद
33.	केन्द्रीय विश्वविद्यालय, कोरापुट
34.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भुवनेश्वर
35.	असम विश्वविद्यालय, सिलचर
36.	व्यावहारिक प्रशिक्षण बोर्ड, कोलकाता
37.	केन्द्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कोकराझार
38.	चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान, कोलकाता
39.	पूर्वी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र, कोलकाता
40.	गनी खान चौधरी अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, मालदा
41.	भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, कोलकाता
42.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी (पुस्तकों को छोड़ते हुए प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया है)
43.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर (एस.आर.आई.सी. परिसम्पत्तियों को छोड़ते हुए प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया है)
44.	भारतीय संग्रहालय, कोलकाता
45.	राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, कोलकाता
46.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सिलचर, असम
47.	तेजपुर विश्वविद्यालय, असम
48.	एशियाई समिति, कोलकाता
49.	विक्टोरिया स्मारक हॉल, कोलकाता (कला वस्तु को छोड़ते हुए प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया है)
50.	विश्वभारती, शांतिनिकेतन
51.	बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय, वाराणसी
52.	केन्द्रीय हिन्दी शिक्षा मण्डल, आगरा
53.	इलाहाबाद संग्रहालय समिति, इलाहाबाद
54.	रामपुर राजा पुस्तकालय, रामपुर
55.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ऋषिकेश
56.	मोती लाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद

57.	नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र, नोएडा
58.	हेमवती नंदन बहुगुना, गढ़वाल विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड
59.	पारादीप पतन न्यास
60.	कोलकाता पत्तन न्यास, कोलकाता
61.	कोयला खान भविष्य निधि संगठन, झारखण्ड
62.	निर्यात निरीक्षण अभिकरण, कोलकाता
63.	राजीव गांधी विश्वविद्यालय (रा.गा.वि.) दोईसुख, पापुम्पारे जिला, अरुणाचल प्रदेश
64.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (रा.प्रौ.सं.), यूपिया, पापुम्पारे जिला, अरुणाचल प्रदेश
65.	उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (उ.पू.क्षे.वि.प्रौ.सं.), नीरजूली, पापुम्पारे जिला, अरुणाचल प्रदेश
66.	मिजोरम विश्वविद्यालय, आईजोल, मिजोरम
67.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, आईजोल मिजोरम
68.	उत्तर पूर्वी क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, दीमापुर, नागालैण्ड
69.	नागालैण्ड विश्वविद्यालय, लूमामी
70.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, अगरतला
71.	त्रिपुरा विश्वविद्यालय, अगरतला
72.	तमिलनाडु केन्द्रीय विश्वविद्यालय, थिरुवरूर
73.	प्रशिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड, चेन्नई
74.	दक्षिण क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, तंजावूर
75.	गांधीग्राम ग्रामीण संस्थान, डीडीगुल, तमिलनाडु
76.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी डिजाइन तथा उत्पादन संस्थान, कांचीपुरम
77.	केन्द्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान, चेन्नई
78.	राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान, सिरीपेरम्पुदुर
79.	ओरोविले प्रतिष्ठान, पुदुचेरी
80.	केन्द्रीय सिध्दा अनुसंधान परिषद, चेन्नई
81.	जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, पुदुचेरी
82.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, कोझीकोड
83.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कालीकट
84.	अली यावर जंग राष्ट्रीय श्रवण अपंगता संस्थान, मुंबई
85.	महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा
86.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मुंबई
87.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गोवा

88.	पंजाब केन्द्रीय विश्वविद्यालय, भटिंडा
89.	डा.बी.आर अम्बेडकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जालंधर
90.	भारतीय विज्ञान शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान, मोहाली
91.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रोपर
92.	संत लौंगवाल अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, लौंगवाल
93.	हरियाणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय, नारनौल/महेन्द्रगढ़
94.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कुरुक्षेत्र
95.	केन्द्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान, लेह
96.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, श्रीनगर
97.	स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़
98.	राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण, चण्डीगढ़
99.	मणिपुर विश्वविद्यालय
100.	राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर
101.	मालविया राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जयपुर
102.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जोधपुर
103.	नंदनी नागर महाविद्यालय, नालंदा
104.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना
105.	खुदा बक्श औरियंटल पब्लिक लाईब्रेरी, पटना
106.	भारतीय खान विद्यालय, धनबाद
107.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जमशेदपुर
108.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, रांची
109.	राष्ट्रीय ढलाई एवं गढ़ाई प्रौद्योगिकी संस्थान, हटिया, रांची
110.	गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय, गांधीनगर
111.	नाविक भविष्य निधि संगठन, मुंबई
112.	पहले का बाम्बे गोदी श्रम बोर्ड, मुंबई
113.	मुंबई पत्तन न्यास, मुंबई
114.	खादी ग्राम एवं उद्योग आयोग, मुंबई
115.	निर्यात निरीक्षण अभिकरण, मुंबई
116.	पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड, नई दिल्ली
117.	वस्त्र समिति, मुंबई
118.	राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, मुख्य कार्यालय नई दिल्ली
119.	राष्ट्रीय शक्ति प्रशिक्षण संस्थान, दिल्ली

2015 का प्रतिवेदन सं. 18

120.	तम्बाकू बोर्ड, गुंटूर
121.	पारादीप पत्तन न्यास
122.	कोलकाता पत्तन न्यास, कोलकाता
123.	कोयला खान भविष्य निधि संगठन, कोलकाता
124.	निर्यात निरीक्षण अभिकरण, कोलकाता
125.	दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली
126.	तेल उद्योग विकास बोर्ड, उत्तर प्रदेश
127.	चेन्नई पत्तन न्यास, चेन्नई
128.	नया मंगलौर पत्तन न्यास, कर्नाटक
129.	रबड़ बोर्ड, कोट्टायम
130.	मसाला बोर्ड, नई दिल्ली
131.	भारतीय बीमा नियामक विकास प्राधिकरण, हैदराबाद

परिशिष्ट - VIII

(पैराग्राफ 1.6 (ग) के संदर्भ में)

स्वायत्त निकायों की सूची जिनमें वर्ष 2013-14 के दौरान
वस्तु सूची का प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था

क्र.सं.	स्वायत्त निकाय का नाम
1.	भारतीय विश्व मामले परिषद, नई दिल्ली
2.	दीन दयाल उपाध्याय शारीरिक विकलांगता संस्थान (शा.वि.सं.), नई दिल्ली
3.	राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (रा.पि.व.आ.), नई दिल्ली
4.	भारतीय प्रेस परिषद, नई दिल्ली
5.	केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली
6.	ललित कला अकादमी, नई दिल्ली
7.	संगीत नाटक अकादमी, नई दिल्ली
8.	राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, नई दिल्ली
9.	राष्ट्रीय संग्रहालय संस्थान, नई दिल्ली
10.	राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली
11.	राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, नई दिल्ली
12.	राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली
13.	केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण, नई दिल्ली
14.	राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली
15.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली
16.	कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, दिल्ली - (क्षे.का, मदुरई तथा क्षे.का. कोयम्बटूर, उ.क्षे.का. लक्ष्मी नगर के मामले में नहीं किया गया था)
17.	योजना एवं वास्तुकला विद्यालय, नई दिल्ली
18.	राष्ट्रीय शैक्षणिक योजना तथा प्रशासन विश्वविद्यालय, नई दिल्ली
19.	भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
20.	उत्तर पूर्वी इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विज्ञान संस्थान, शिलांग
21.	उत्तर पूर्वी पर्वतीय विश्वविद्यालय, शिलांग
22.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मेघालय
23.	अटल बिहारी बाजपेयी - भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी तथा प्रबंधन संस्थान, ग्वालियर
24.	पं. द्वारका प्रसाद मिश्रा - भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी तथा प्रबंधन संस्थान, जबलपुर
25.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भोपाल
26.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, वारंगल

27.	हैदराबाद विश्वविद्यालय
28.	मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, हैदराबाद
29.	अंग्रेजी एवं विदेशी भाषाएं विश्वविद्यालय, हैदराबाद
30.	राष्ट्रीय मानसिक विकलांगता संस्थान, सिकन्दराबाद
31.	राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति
32.	राष्ट्रीय ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज संस्थान, हैदराबाद
33.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भुवनेश्वर
34.	असम विश्वविद्यालय, सिलचर
35.	व्यावहारिक प्रशिक्षण बोर्ड, कोलकाता
36.	केन्द्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कोकराझार
37.	चितरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान, कोलकाता
38.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, कोलकाता
39.	भारतीय संग्रहालय, कोलकाता
40.	बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय, वाराणसी
41.	केन्द्रीय हिन्दी शिक्षा मण्डल, आगरा
42.	इलाहाबाद संग्रहालय समिति, इलाहाबाद
43.	रामपुर राजा पुस्तकालय, रामपुर
44.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ऋषिकेश
45.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रुड़की
46.	नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र, नोएडा
47.	हेमवती नंदन बहुगुणा, गढ़वाल विश्वविद्यालय उत्तराखण्ड
48.	राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान, नोएडा
49.	पारादीप पत्तन न्यास
50.	कोलकाता पत्तन न्यास, कोलकाता
51.	निर्यात निरीक्षण अभिकरण, कोलकाता
52.	राजीव गांधी विश्वविद्यालय, दोईमुख, पापुम्पारे जिला, अरुणाचल प्रदेश
53.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (रा.प्रौ.सं.), यूपिया, पापुम्पारे जिला, अरुणाचल प्रदेश
54.	उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (उ.पू.क्षे.वि.प्रौ.सं.), नीरजूली, पापुम्पारे जिला, अरुणाचल प्रदेश
55.	मिजोरम विश्वविद्यालय, आईजोल
56.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, आईजोल
57.	उत्तर पूर्व क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, दीमापुर, नागालैण्ड
58.	नागालैण्ड विश्वविद्यालय, लूमामी
59.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, अगरतला

60.	त्रिपुरा विश्वविद्यालय, अगरतला
61.	प्रशिक्षु प्रशिक्षण बोर्ड, चेन्नई
62.	गांधीग्राम ग्रामीण संस्थान, डिंडीगुल, तमिलनाडु
63.	केन्द्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान, चेन्नई
64.	राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान, सिरीपेरम्पुदूर
65.	केन्द्रीय सिद्धा अनुसंधान परिषद, चेन्नई
66.	जवाहर लाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, पुदुचेरी
67.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी डिजाईन एवं उत्पादन संस्थान, कांचीपुरम
68.	भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, थिरुवंतापुरम
69.	केरल केन्द्रीय विश्वविद्यालय, कासरगोड
70.	महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा
71.	पंजाब केन्द्रीय विश्वविद्यालय, भटिंडा
72.	डा.बी.आर. अम्बेडकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जबलपुर
73.	भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, मोहाली
74.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रोपड़
75.	संत लॉगवाल अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, लौंगवाल
76.	हरियाणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय, नारनौल/महेन्द्रगढ़
77.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कुरुक्षेत्र
78.	केन्द्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान, लेह
79.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, श्रीनगर
80.	स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़
81.	राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण, चण्डीगढ़
82.	राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर
83.	मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जयपुर
84.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जोधपुर
85.	नव नालंदा महाविहार, बिहार
86.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना
87.	खुदा बक्श औरियंटल पब्लिक लाईब्रेरी, पटना
88.	झारखण्ड केन्द्रीय विश्वविद्यालय, ब्राम्बे, राँची
89.	भारतीय खान विद्यालय, धनबाद
90.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जमशेदपुर
91.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, रांची
92.	राष्ट्रीय ढलाई एवं गढ़ाई प्रौद्योगिकी संस्थान, हटिया, रांची

2015 का प्रतिवेदन सं. 18

93.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गांधीनगर
94.	सरदार वल्लभभाई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी लेखे, सूरत
95.	गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय, गांधी नगर
96.	खादी ग्राम एवं उद्योग आयोग, दिल्ली
97.	राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, मुख्य कार्यालय नई दिल्ली
98.	वस्त्र समिति, मुंबई
99.	पारादीप पत्तन न्यास
100.	कोलकाता पत्तन न्यास, कोलकाता
101.	निर्यात निरीक्षण अभिकरण, कोलकाता
102.	दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली
103.	भारतीय बीमा नियामक विकास प्राधिकरण, हैदराबाद

परिशिष्ट - IX

(पैराग्राफ 1.6 (घ) के संदर्भ में)

स्वायत्त निकायों की सूची जिन्होंने वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित निवेश के प्रतिमानों के अनुसार भविष्य निधि शेषों का निवेश नहीं किया था

क्र.सं.	स्वायत्त निकाय का नाम
1.	भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, नई दिल्ली
2.	लोक कार्य एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी उन्नति परिषद, नई दिल्ली
3.	केन्द्रीय वक्फ परिषद, नई दिल्ली
4.	दीन दयाल उपाध्याय शारीरिक विकलांगता संस्थान, नई दिल्ली
5.	भारतीय पुनर्वास परिषद (भा.पु.प.) नई दिल्ली
6.	भारतीय नर्सिंग परिषद, नई दिल्ली
7.	भारतीय केन्द्रीय परिषद, नई दिल्ली
8.	भारतीय चिकित्सा परिषद, नई दिल्ली
9.	भारतीय प्रेस परिषद, नई दिल्ली
10.	सांस्कृतिक संसाधन एवं प्रशिक्षण केन्द्र, नई दिल्ली
11.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र, नई दिल्ली
12.	ललित कला अकादमी, नई दिल्ली
13.	संगीत नाटक अकादमी, नई दिल्ली
14.	राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, नई दिल्ली
15.	गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति, दिल्ली
16.	नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय, नई दिल्ली
17.	साहित्य अकादमी, नई दिल्ली
18.	केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण, नई दिल्ली
19.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय, नई दिल्ली
20.	भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद, नई दिल्ली
21.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली
22.	राष्ट्रीय बाल भवन, नई दिल्ली
23.	श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली
24.	राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली
25.	राजीव गांधी आई.आई.एम., शिलांग

26.	डा. हरी सिंह गौड़ विश्वविद्यालय, सागर, मध्य प्रदेश
27.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रायपुर
28.	सालार जंग संग्रहालय, हैदराबाद
29.	राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान परिषद, हैदराबाद
30.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद
31.	प्रशिक्षु प्रशिक्षण बोर्ड, कोलकाता
32.	चितरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान, कोलकाता
33.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, कोलकाता
34.	भारतीय संग्रहालय, कोलकाता
35.	राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, कोलकाता
36.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दुर्गापुर
37.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सिलचर, असम
38.	राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान, कोलकाता
39.	विक्टोरिया स्मारक हाल, कोलकाता
40.	केन्द्रीय हिन्दी शिक्षा मण्डल, आगरा
41.	राजीव गांधी विश्वविद्यालय (रा.गां.वि.), दोईमुख, पापुम्परे जिला, अरुणाचल प्रदेश
42.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, (रा.प्रौ.सं.), यूपिया, पापुम्परे जिला, अरुणाचल प्रदेश
43.	उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (उ.पू.क्षे.वि.प्रौ.सं.), नीरजूली, पापरुम्परे जिला, अरुणाचल प्रदेश
44.	केन्द्रीय हिमालयी संस्कृति एवं अध्ययन संस्थान, दाहोंग, पश्चिम कामेंग जिला, अरुणाचल प्रदेश
45.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, आईजोल, मिजोरम
46.	डा.बी.आर. अम्बेडकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जालंधर
47.	भारतीय उन्नत अध्ययन संस्थान, शिमला
48.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हमीरपूर
49.	संत लोंगवाल अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, लोंगवाल
50.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कुरुक्षेत्र
51.	राष्ट्रीय तिलहन एवं वनस्पति तेल विकास बोर्ड, गुड़गांव
52.	केन्द्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान, लेह
53.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, श्रीनगर
54.	स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़
55.	राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण तथा अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़
56.	नव नालंदा महाविहार, बिहार

57.	बिहार केन्द्रीय विश्वविद्यालय, पटना
58.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना
59.	खुदा बक्श औरियंटल पब्लिक लाईब्रेरी, पटना
60.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान प्रौ.सं., पटना
61.	झारखण्ड केन्द्रीय विश्वविद्यालय, ब्राम्बे, रांची
62.	भारतीय खान विद्यालय, धनबाद
63.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जमशेदपुर
64.	राष्ट्रीय ढलाई एवं गढ़ाई प्रौद्योगिकी संस्थान, हटिया, रांची
65.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गांधीनगर
66.	गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय, गांधीनगर
67.	मुख्य पत्तनों हेतु टैरिफ प्राधिकरण, मुंबई
68.	खादी ग्राम एवं उद्योग आयोग, दिल्ली

परिशिष्ट - X

(पैराग्राफ 1.6 (ड) के संदर्भ में)

स्वायत्त निकायों की सूची जो नकदीकरण/ नकद आधार पर अनुदानों का लेखांकन कर रहे हैं

क्र.सं.	स्वायत्त निकाय का नाम
1.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली
2.	राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड, नई दिल्ली
3.	राष्ट्रीय विधिक सेवाएं प्राधिकरण, नई दिल्ली
4.	केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण, नई दिल्ली
5.	राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, नई दिल्ली
6.	राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली
7.	राष्ट्रीय नशा जांच प्रयोगशाला प्राधिकरण, नई दिल्ली
8.	गोदाम विकास तथा नियामक प्राधिकरण, नई दिल्ली
9.	राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, नई दिल्ली
10.	संगीत नाटक अकादमी, नई दिल्ली
11.	गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति, नई दिल्ली
12.	ललित कला अकादमी, नई दिल्ली
13.	साहित्य अकादमी, नई दिल्ली
14.	दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, नई दिल्ली
15.	नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय, नई दिल्ली
16.	भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
17.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली
18.	राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, नई दिल्ली
19.	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग, नई दिल्ली
20.	राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली
21.	राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम, नई दिल्ली
22.	जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली
23.	राष्ट्रीय शैक्षणिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय, नई दिल्ली
24.	योजना एवं वास्तुकला विद्यालय, नई दिल्ली
25.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली
26.	भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद नई दिल्ली
27.	राष्ट्रीय बाल भवन, नई दिल्ली
28.	अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली

29.	दिल्ली विश्वविद्यालय, नई दिल्ली
30.	जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली
31.	कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, नई दिल्ली
32.	भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
33.	उत्तर पूर्वी इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विज्ञान संस्थान, शिलांग
34.	उत्तर पूर्वी पर्वतीय विश्वविद्यालय शिलांग
35.	महाऋषि संदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन
36.	लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर
37.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, भोपाल
38.	राष्ट्रीय अदालती अकादमी, भोपाल
39.	राष्ट्रीय पौध स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान, हैदराबाद
40.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, वारंगल
41.	अंग्रेजी एवं विदेशी भाषाएं विश्वविद्यालय, हैदराबाद
42.	राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति
43.	राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान, हैदराबाद
44.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद
45.	योजना एवं वास्तुशिल्प विद्यालय, विजवाड़ा
46.	सालार जंग संग्रहालय, हैदराबाद
47.	राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं प्रबंधन संस्थान (मैनेज), हैदराबाद
48.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भुवनेश्वर
49.	स्वामी विवेकानन्द राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, कटक
50.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भुवनेश्वर
51.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, राउरकेला
52.	केन्द्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कोकराझार
53.	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़
54.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बी.एच.यू., वाराणसी
55.	केन्द्रीय हिन्दी शिक्षा मण्डल, आगरा
56.	राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान, देहरादून
57.	तिब्बती अध्ययन केन्द्रीय विश्वविद्यालय, सारनाथ वाराणसी
58.	इलाहाबाद संग्रहालय समिति, इलाहाबाद
59.	हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर गढ़वाल, उत्तराखण्ड
60.	चाय बोर्ड, कोलकाता
61.	राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान, कोलकाता

62.	निर्यात निरीक्षण अभिकरण, कोलकाता
63.	मिजोरम विश्वविद्यालय, आईजोल, मिजोरम
64.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, आईजोल, मिजोरम
65.	उत्तर पूर्व क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, दीमापुर, नागालैण्ड
66.	राष्ट्रीय सिद्धा संस्थान, चेन्नई
67.	राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण तथा अनुसंधान संस्थान, चेन्नई
68.	केरल केन्द्रीय विद्यालय, कसरगोड
69.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, कोझीकोड
70.	पंजाब केन्द्रीय विश्वविद्यालय, भटिंडा
71.	हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय, धर्मशाला
72.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हमीरपुर
73.	उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, पटियाला
74.	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, गुडगांव
75.	राष्ट्रीय तिहलन एवं वनस्पति तेल विकास बोर्ड, गुडगांव
76.	केन्द्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान, लेह
77.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कुरुक्षेत्र
78.	कश्मीर केन्द्रीय विश्वविद्यालय, श्रीनगर
79.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, श्रीनगर
80.	नव नालंदा महाविहार, बिहार
81.	बिहार केन्द्रीय विश्वविद्यालय, पटना
82.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना
83.	खुदा बक्श ओरियंटल पब्लिक लाइब्रेरी, पटना
84.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना
85.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गांधीनगर
86.	मुख्य पत्तनों हेतु यातायात प्राधिकरण, मुंबई
87.	खादी ग्राम एवं उद्योग आयोग, दिल्ली
88.	केन्द्रीय बिजली नियामक आयोग, नई दिल्ली
89.	तम्बाकू बोर्ड, गुंटूर
90.	चाय बोर्ड, कोलकाता
91.	राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान, कोलकाता
92.	निर्यात निरीक्षण अभिकरण, कोलकाता
93.	राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान, राय बरेली
94.	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड, नई दिल्ली

परिशिष्ट - XI

(पैराग्राफ 1.6 (च) के संदर्भ में)

स्वायत्त निकायों की सूची जिन्होंने बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर उपदान तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों को लेखाबद्ध नहीं किया है।

क्र.सं.	स्वायत्त निकाय का नाम
1.	भारतीय पुनर्वास परिषद (भा.पु.प.) नई दिल्ली
2.	लोक कार्य तथा ग्रामीण प्रौद्योगिकी उन्नति परिषद, नई दिल्ली
3.	केन्द्रीय योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
4.	केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
5.	राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड, नई दिल्ली
6.	साहित्य अकादमी, नई दिल्ली
7.	राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, नई दिल्ली
8.	संगीत नाटक अकादमी, नई दिल्ली
9.	गांधी स्मृति तथा दर्शन समिति, नई दिल्ली
10.	ललित कला अकादमी, नई दिल्ली
11.	दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, नई दिल्ली
12.	सांस्कृतिक संसाधन तथा प्रशिक्षण केन्द्र, नई दिल्ली
13.	नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय, नई दिल्ली
14.	भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
15.	राष्ट्रीय बाल भवन, नई दिल्ली
16.	राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली
17.	केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली
18.	भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
19.	उत्तर-पूर्वी इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विज्ञान संस्थान, शिलांग
20.	राजीव गांधी भारतीय प्रबंधन संस्थान, शिलांग
21.	मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भोपाल
22.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भोपाल
23.	गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर
24.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक
25.	राष्ट्रीय अदालती अकादमी, भोपाल

26.	योजना एवं वास्तुकला विद्यालय, भोपाल
27.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, रायपुर
28.	राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, हैदराबाद
29.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद
30.	केन्द्रीय विश्वविद्यालय, कोरापुट
31.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भुवनेश्वर
32.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, राउरकेला
33.	असम विश्वविद्यालय, सिल्चर
34.	व्यवहारिक प्रशिक्षण बोर्ड, कोलकाता
35.	केन्द्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कोकराझार
36.	चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान, कोलकाता
37.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी
38.	भारतीय संग्रहालय, कोलकाता
39.	राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद, कोलकाता
40.	राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, कोलकाता
41.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दुर्गापुर
42.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सिल्चर
43.	एशियाई समिति, कोलकाता
44.	विक्टोरिया स्मारक हॉल, कोलकाता
45.	विश्व भारती, शांतिनिकेतन
46.	बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय, वाराणसी
47.	प्रशिक्षु प्रशिक्षण बोर्ड, कानपुर
48.	केन्द्रीय तिब्बती अध्ययन विश्वविद्यालय, सारनाथ
49.	इलाहाबाद संग्रहालय समिति, इलाहाबाद
50.	उत्तर केन्द्रीय क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, इलाहाबाद
51.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ऋषिकेश
52.	बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ
53.	पारादीप पत्तन न्यास
54.	कोलकाता पत्तन न्यास
55.	कोलकाता गोदी श्रम बोर्ड
56.	कोयला खान भविष्य निधि संगठन
57.	निर्यात निरीक्षण अभिकरण, कोलकाता

58.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, आईजोल, मिजोरम
59.	उत्तर-पूर्व क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, दीमापुर, नागालैण्ड
60.	अरुविले प्रतिष्ठान, पुदुचेरी
61.	जवाहर स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान, पुदुचेरी
62.	तटीय जल संस्कृति प्राधिकरण, चेन्नई
63.	प्रशिक्षु प्रशिक्षण बोर्ड, चेन्नई
64.	राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण तथा अनुसंधान संस्थान, चेन्नई
65.	राष्ट्रीय सिद्धा संस्थान, चेन्नई
66.	राष्ट्रीय बहु अपंगता वाले व्यक्तियों के सशक्तिकरण हेतु संस्थान, चेन्नई
67.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, त्रिची
68.	दक्षिण क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, थंजावुर
69.	केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान परिषद, सिद्ध, चेन्नई
70.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, त्रिची
71.	राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान, श्रीपेरुम्बुदूर
72.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी डिजाइन तथा उत्पादन संस्थान, कांचीपुरम
73.	नारियल विकास बोर्ड, कोच्ची
74.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कोझीकोड
75.	राष्ट्रीय प्रबंधन संस्थान, कोझीकोड
76.	विश्वेश्वरैया राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नागपुर
77.	राष्ट्रीय औद्योगिक अभियांत्रिकी प्रशिक्षण संस्थान, (रा.औ.अ.प्र.सं.) मुंबई
78.	भारतीय विज्ञान शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान, पूणे
79.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मुंबई
80.	अली यावर जंग राष्ट्रीय श्रवण बाधित संस्थान
81.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गोवा
82.	प्रशिक्षु प्रशिक्षण बोर्ड (प्र.बो.) मुम्बई
83.	महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा
84.	पंजाब केन्द्रीय विश्वविद्यालय, भटिंडा
85.	डा.बी.आर. अंबेडकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जालंधर
86.	भारतीय विज्ञान शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान, मोहाली
87.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रोपर
88.	भारतीय उन्नत अध्ययन संस्थान, शिमला
89.	हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय, धर्मशाला

90.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हमीरपुर
91.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मंडी
92.	संत लोंगवाल अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, लोंगवाल
93.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, रोहतक
94.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कुरूक्षेत्र
95.	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, गुडगांव
96.	राष्ट्रीय तिलहन एवं वनस्पति तेल विकास बोर्ड, गुडगांव
97.	जम्मू केन्द्रीय विश्वविद्यालय, जम्मू
98.	केन्द्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान, लेह
99.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, श्रीनगर
100.	स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़
101.	राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण तथा अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़
102.	राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण, चंडीगढ़
103.	राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर
104.	नव नालंदा महाविहार, बिहार
105.	बिहार केन्द्रीय विश्वविद्यालय, पटना
106.	खुदाबक्श ओरियंटल पब्लिक लाईब्रेरी, पटना
107.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना
108.	भारतीय खान विद्यालय, धनबाद
109.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जमशेदपुर
110.	राष्ट्रीय ढलाई तथा गढ़ाई प्रौद्योगिकी संस्थान, हटिया, रांची
111.	गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय, गांधीनगर
112.	सरदार वल्लभभाई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सूरत
113.	कांडला पत्तन न्यास (अवकाश नकदीकरण के लिए)
114.	खादी ग्राम एवं उद्योग आयोग, मुम्बई
115.	निर्यात निरीक्षण अभिकरण, मुम्बई
116.	कृषि एवं संसाधित खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली
117.	राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान, रायबरेली
118.	पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड, नई दिल्ली
119.	राष्ट्रीय शक्ति प्रशिक्षण संस्थान, दिल्ली
120.	तम्बाकू बोर्ड, गुंटूर
121.	पारादीप पत्तन न्यास

122.	कोलकाता पत्तन न्यास
123.	कलकत्ता गोदी श्रम बोर्ड
124.	कोयला खान भविष्य निधि संगठन
125.	निर्यात निरीक्षण अभिकरण, कोलकाता
126.	दिल्ली विकास प्राधिकरण
127.	चेन्नई पत्तन न्यास
128.	कोचीन पत्तन न्यास,कोचीन
129.	बी.ओ. चिदाम्बरनार पत्तन न्यास तूतीकोरिन
130.	रबड़ बोर्ड, कोट्टायम
131.	मसाला बोर्ड, कोच्ची
132.	कॉयर बोर्ड, कोच्ची
133.	राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान, मोहाली
134.	वस्त्र समिति, मुम्बई
135.	राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली

परिशिष्ट - XII

(पैराग्राफ 1.6 (छ) के संदर्भ में)

स्वायत्त निकायों की सूची जिन्होंने स्थायी परिसम्पत्तियों पर मूल्यहास प्रदान नहीं किया था

क्र.सं.	स्वायत्त निकाय का नाम
1.	भारतीय दन्त परिषद, नई दिल्ली
2.	केन्द्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
3.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली
4.	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग, नई दिल्ली
5.	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली
6.	राष्ट्रीय संस्कृत संगठन, नई दिल्ली
7.	कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, नई दिल्ली
8.	राष्ट्रीय बाल भवन, नई दिल्ली
9.	भारतीय एतिहासिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
10.	केन्द्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कोकराझार
11.	चितरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान, कोलकाता
12.	भारतीय विज्ञान शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान, कोलकाता
13.	भारतीय संग्रहालय, कोलकाता
14.	विश्व भारती, शांतिनिकेतन
15.	इलाहाबाद संग्रहालय समिति, इलाहाबाद
16.	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़
17.	डा. बी.आर अम्बेडकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जालंधर
18.	भारतीय उन्नत अध्ययन संस्थान, शिमला
19.	संत लोंगवाल अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, लोंगवाल
20.	स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़
21.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जमशेदपुर
22.	मोरमुगांव पत्तन न्यास, गोवा
23.	खादी ग्राम एवं उद्योग आयोग, नई दिल्ली

परिशिष्ट - XIII

(पैराग्राफ 1.6 (ज) के संदर्भ में)

स्वायत्त निकायों की सूची जिन्होंने लेखापरीक्षा के परिणाम के रूप में अपने लेखाओं को संशोधित किया

क्र.सं.	स्वायत्त निकाय का नाम
1.	भारतीय विश्व मामले परिषद, नई दिल्ली
2.	राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, नई दिल्ली
3.	जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली
4.	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग, नई दिल्ली
5.	लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर
6.	राजीव गांधी विश्वविद्यालय (रा.गा.वि.), दोईमुख, पापुम्पारे जिला, अरुणाचल प्रदेश
7.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, बेंगलोर
8.	भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलोर
9.	राष्ट्रीय यूनानी औषधी संस्थान, बेंगलोर
10.	राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य तथा तंत्रिका विज्ञान, बेंगलोर
11.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सूर्यकल, मंगलौर
12.	बिहार केन्द्रीय विश्वविद्यालय, गुलबर्गा
13.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, चेन्नई
14.	तटीय जल संस्कृति प्राधिकरण, चेन्नई
15.	कलाक्षेत्र प्रतिष्ठान, चेन्नई
16.	जवाहर लाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान, पुदुचेरी
17.	प्रशिक्षु प्रशिक्षण बोर्ड, चेन्नई
18.	राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण तथा अनुसंधान संस्थान, चेन्नई
19.	राष्ट्रीय सिध्दा संस्थान, चेन्नई
20.	बहुअपंगताओं वाले व्यक्तियों के सशक्तिकरण हेतु राष्ट्रीय संस्थान, चेन्नई
21.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी डिजाईन तथा उत्पादन संस्थान, कांचीपुरम
22.	पुदुचेरी विश्वविद्यालय, पुदुचेरी
23.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, करायकल
24.	केन्द्रीय सिध्दा अनुसंधान परिषद, चेन्नई

2015 का प्रतिवेदन सं. 18

25.	राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण, चण्डीगढ़
26.	जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण, चण्डीगढ़
27.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जोधपुर
28.	विशिष्ट परिसम्पत्ति स्थिरीकरण निधि, मुंबई
29.	विशाखापत्तनम पत्तन न्यास, विशाखापत्तनम
30.	सामान्य निधि कॉफी बोर्ड, बेंगलोर
31.	दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली

परिशिष्ट - XIV

(पैराग्राफ सं. 18.1 के संदर्भ में)

दिसंबर 2014 को, विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से मार्च 2014 को समाप्त वर्ष तक प्रतीक्षित कार्रवाई टिप्पणियों की संक्षिप्त स्थिति

क्र.सं.	मंत्रालय/ विभाग का नाम	मार्च को समाप्त वर्ष हेतु रिपोर्ट	सिविल			स्वायत्त निकाय			कुल		
			बकाया	कभी भी प्राप्त नहीं हुई	पत्राचाराधीन	बकाया	कभी भी प्राप्त नहीं हुई	पत्राचाराधीन	बकाया	कभी प्राप्त नहीं हुई	पत्राचाराधीन
1.	कृषि	1997	-	-	-	1	-	1	1	-	1
		2012	-	-	-	1	-	1	1	-	1
2.	नागरिक उड्डयन	2009	2	1	1	-	-	2	1	1	1
	उपभोक्ता मामले	2011	-	-	-	1	-	1	1	-	1
3.	खाद्य एवं लोक संवितरण	2013	1	1	-	-	-	1	1	1	-
4.	वाणिज्य एवं उद्योग	2012	1	-	1	-	-	1	-	-	1
		1998	-	-	-	1	-	1	1	-	1
		2001	-	-	-	2	-	2	2	-	2
		2004	1	-	1	-	-	1	-	-	1
5.	संस्कृति	2011	-	-	-	1	-	1	1	-	1
		2012	-	-	-	2	-	2	2	-	2
		2013	2	2	-	2	2	4	4	4	-

क्र.सं.	मंत्रालय/ विभाग का नाम	मार्च को समाप्त वर्ष हेतु रिपोर्ट	सिविल				स्वायत्त निकाय			कुल			
			बकाया	कभी भी प्राप्त नहीं हुई	पत्राचाराधीन	बकाया	कभी भी प्राप्त नहीं हुई	पत्राचाराधीन	बकाया	कभी प्राप्त नहीं हुई	पत्राचाराधीन		
6.	कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन	2011	1	-	1	-	-	1	-	1	-	1	
		2013	1	1	-	-	-	1	1	-	1	-	
7.	योजना आयोग	2013	2	2	-	-	-	2	2	-	-	-	
8.	विदेश मामले	2009	1	-	1	-	-	1	-	1	-	1	
		2011	1	-	1	-	-	1	-	1	-	1	
		2012	1	-	1	1	-	1	2	-	2	2	
		2013	7	6	1	-	-	7	6	-	6	1	
		2010	2	-	2	-	-	2	-	-	-	2	
9.	वित्त												
10.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	2013	3	3	-	-	-	3	3	-	-	-	
11.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1999	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	1
		2000	1	-	1	-	-	1	1	-	1	-	1
		2003	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	1
		2006	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	1
		2007	1	-	1	-	-	1	1	-	1	-	1
		2008	1	-	1	1	-	1	2	-	2	-	2
		2009	2	-	2	1	-	1	3	-	3	-	3
		2010	3	-	3	-	-	-	3	-	3	-	3
		2011	-	-	-	2	-	2	2	-	2	-	2

क्र.सं.	मंत्रालय/ विभाग का नाम	मार्च को समाप्त वर्ष हेतु रिपोर्ट	सिविल				स्वायत्त निकाय			कुल		
			बकाया	कभी भी प्राप्त नहीं हुई	पत्राचाराधीन	बकाया	कभी भी प्राप्त नहीं हुई	पत्राचाराधीन	बकाया	कभी प्राप्त नहीं हुई	कुल	
		2012	4	1	3	1	-	1	5	1	4	
		2013	2	2	-	2	2	-	4	4	-	
12.	गृह	2010	1	-	1	2	-	2	1	-	1	
		2012	2	1	1	-	-	-	2	1	1	
		2013	2	2	-	-	-	-	2	2	-	
13.	गृह (संघ शासित क्षेत्र)	2012	11	7	4	-	-	-	11	7	4	
		2013	5	5	-	-	-	-	5	5	-	
14.	मानव संसाधन विकास	2001	-	-	-	1	-	1	1	-	1	
		2002	-	-	-	1	-	1	1	-	1	
		2004	-	-	-	1	-	1	1	-	1	
		2006	-	-	-	1	-	1	1	-	1	
		2007	-	-	-	2	1	1	2	1	1	
		2008	-	-	-	1	1	-	1	1	-	
		2009	-	-	-	2	-	2	2	-	2	
		2010	-	-	-	4	1	3	4	1	3	
		2011	-	-	-	2	-	2	2	-	2	
		2012	2	1	1	4	2	2	6	3	3	
		2013	2	2	-	6	6	-	8	8	-	
15.	सूचना एवं प्रसारण	2000	1	-	1	-	-	-	1	-	1	
		2010	-	-	-	1	-	1	1	-	1	
		2011	1	-	1	-	-	-	1	-	1	

क्र.सं.	मंत्रालय/ विभाग का नाम	मार्च को समाप्त वर्ष हेतु रिपोर्ट	सिविल				स्वायत्त निकाय			कुल		
			बकाया	कभी भी प्राप्त नहीं हुई	पत्राचाराधीन	बकाया	कभी भी प्राप्त नहीं हुई	पत्राचाराधीन	बकाया	कभी प्राप्त नहीं हुई	पत्राचाराधीन	
		2012	-	-	-	1	-	1	1	-	1	1
		2013	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-
		2009	-	-	-	1	-	1	1	-	1	1
		2010	-	-	-	1	-	1	1	-	1	1
		2012	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-
		2013	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-
17.	विधि एवं न्याय	2003	1	-	1	-	-	-	1	-	-	1
18.	खान	2012	1	-	1	-	-	-	1	-	-	1
19.	प्रवासी भारतीय मामले	2012	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-
		2002	1	-	1	-	-	-	1	-	-	1
		2010	1	-	1	-	-	-	1	-	-	1
		2012	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-
		2013	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-
		1996	1	-	1	-	-	-	1	-	-	1
		2003	1	-	1	-	-	-	1	-	-	1
		2006	1	-	1	-	-	-	1	-	-	1
		2010	-	-	-	1	1	-	1	-	-	1
22.	जनजातीय कार्य	2006	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-

क्र.सं.	मंत्रालय/ विभाग का नाम	मार्च को समाप्त वर्ष हेतु रिपोर्ट	सिविल				स्वायत्त निकाय			कुल		
			बकाया	कभी भी प्राप्त नहीं हुई	पत्राचाराधीन	बकाया	कभी भी प्राप्त नहीं हुई	पत्राचाराधीन	बकाया	कभी प्राप्त नहीं हुई	पत्राचाराधीन	
23.	महिला एवं बाल विकास	2003	1	-	1	-	-	1	-	-	1	
		2011	2	1	1	-	-	2	1	1		
		2012	1	-	1	-	-	1	-	1		
24.	युवा मामले एवं खेल	2010	-	-	-	1	-	1	-	-	1	
		2011	1	1	-	1	-	2	1	1		
		2012	1	-	1	-	-	1	-	1		
		2013	-	-	-	1	1	1	1	1	-	
	कुल		85	44	41	59	18	41	144	62	82	

परिशिष्ट - XV

(पैराग्राफ 18.2 के संदर्भ में)

ड्राफ्ट पैराग्राफों के प्रति मंत्रालयों/विभागों का उत्तर

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग	पैराग्राफों की कुल सं.	उन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के पैराग्राफों की सं. तथा संदर्भ जिनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए
1.	वाणिज्य एवं उद्योग	3	2(2.2,2.3)
2.	उपभोक्ता मामले, खाद्य तथा लोक संवितरण	4	-
3.	संस्कृति	2	1(4.1)
4.	विदेश मामले	3	-
5.	वित्त	2	1(6.1)
6.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	6	4(7.1,7.4,7.5,7.6)
7.	गृह मामले	5	-
8.	मामले संसाधन विकास	6	6(9.1,9.2,9.3,9.4,9.5,9.6)
9.	सूचना एवं प्रसारण	2	1(10.2)
10.	श्रम एवं रोजगार	1	1(11.1)
11.	अल्पसंख्यक मामले	1	-
12.	पोत परिवहन	1	1(12.1)
13.	कौशल विकास, उद्यमिता, युवा मामले एवं खेल	2	2(13.1, 13.2)
14.	सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन	2	2(14.1,14.2)
15.	पर्यटन	1	-
16.	जनजातीय मामले	1	-
कुल		42	21